इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी 2012—माघ 28, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2012

क्र. ई-1-40-2012-5-एक.— राज्य शासन, डॉ. लवलीन कक्कड़, भाप्रसे (1979), वि. क. अ.-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 23 जनवरी 2012 के तारतम्य में अखिल भारतीय सेवाएं (डीसीआरबी) नियम, 1958 के नियम 16(2) के परन्तुक के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिये निर्धारित 3 माह के पूर्व नोटिस की शर्त को एतद्द्वारा शिथिल करते हुए, डॉ. लवलीन कक्कड़, भाप्रसे (1979) को भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 1 मार्च 2012 पूर्वान्ह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की स्वीकृति प्रदान करता है.

तद्नुसार डॉ. लवलीन कक्कड़, भाप्रसे (1979) भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 1 मार्च 2012 (पूर्वान्ह) से स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त होंगी.

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2012

क्र. ई-5-774-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजीत कुमार, आयएएस., कलेक्टर, जिला सिवनी को दिनांक 6 से 10 फरवरी 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 फरवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री अजीत कुमार की अवकाश अवधि में श्री संकेत भोंडवे शांताराम, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सिवनी का प्रभार सौंपा जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजीत कुमार द्वारा कलेक्टर, जिला सिवनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संकेत भोंडवे शांताराम, कलेक्टर, जिला सिवनी के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-785-आयएएस-लीव-5-एक .—श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड-सह-संचालक, मंडी मध्यप्रदेश सह-अपर सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 1 से 15 फरवरी 2012 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड-सह-संचालक, मंडी मध्यप्रदेश सह-अपर सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2012

क्र. ई-5-649-आयएएस-लीव-एक-5.—श्रीमती रश्मि अरुण शमी, आयएएस., संचालक, उद्यानिकी-सह-मिशन-संचालक, उद्यानिकी को दिनांक 1 फरवरी 2012 से एक सौ तिरसठ दिन का शिशु देखभाल अवकाश (चाईल्ड केयर लीव) स्वीकृत किया गया है.

(2) श्रीमती रश्मि अरुण शमी की अवकाश अवधि में श्री अनुराग श्रीवास्तव, भावसे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ) महानिदेशक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, उद्यानिकी-सह-मिशन संचालक, उद्यानिकी का प्रभार सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्र. ई-5-891-आयएएस-लीव-5-एक .—श्री भास्कर लक्षकार, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला शहडोल को दिनांक 13 फरवरी से 3 मार्च 2012 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 फरवरी एवं 4 मार्च 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री भास्कर लक्षकार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री भास्कर लक्षकार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भास्कर लक्षकार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2012

क्र. एफ-564-04-2012-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश के राज्यपाल प्रो. एस. पी. गौतम, अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, के सदस्य पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं.

क्र. एफ-6-05-2012-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश के राज्यपाल डॉ. बी. बी. ब्यौहार, प्रो. जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, के सदस्य पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजया श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2012

क्र. ई-564-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती वीरा राणा, आयएएस., आयुक्त सह-संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 दिसम्बर 2011 द्वारा दिनांक

24 दिसम्बर 2011 से 2 जनवरी 2012 तक, दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 24 दिसम्बर 2011 से 3 जनवरी 2012 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 दिसम्बर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई-5-804-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री एस. एन. शर्मा, आयएएस., (से. नि.) को दिनांक 23 नवम्बर से 28 दिसम्बर 2011 तक, छत्तीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

क्र. ई-5-733-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, आयएएस., कलेक्टर, जिला देवास को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 दिसम्बर 2011 द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2011 से 10 जनवरी 2012 तक, ग्यारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश समाप्ति के पूर्व उनके द्वारा कार्य पर उपस्थित होने के कारण दिनांक 8, 9 एवं 10 जनवरी 2012 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है. (अवकाश अवधि दिनांक 31 दिसम्बर 2011 से 7 जनवरी 2012 तक, आठ दिन रहेंगी).

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 दिसम्बर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2012

क्र. ई-5-634-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. मनोहर अगनानी, आयएएस., मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2011 द्वारा दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2011 तक, छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के क्रम में दिनांक 19 से 25 दिसम्बर 2011 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. ई-5-726-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. के. श्रीवास्तव, आयएएस., आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग को दिनांक 10 से 13 जनवरी 2012 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकांश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. श्रीवास्तव, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आर. के. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-328-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. परशुराम, आयएएस., विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन, मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग को दिनांक 9 से 20 जनवरी 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. परशुराम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन, मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आर. परशुराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. परशुराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव 'कार्मिक'.

भोपाल, दिनांक 27/30 जनवरी 2012

क्र.बी. 1-07-2012-2-एक.—(1) सुश्री अजीजा अशरफ, राप्रसे, उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल ने आवेदन पत्र दिनांक 29 दिसम्बर 2011 द्वारा विवाहोपरांत उप नाम श्रीमती अजीजा सरशार जफर करने का अनुरोध किया है.

(2) राज्य शासन, एतद्द्वारा सुश्री अजीजा अशरफ, राप्रसे के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका नाम सुश्री अजीजा अशरफ के स्थान पर श्री अजीजा सरशार जफर करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(3) उपरोक्तानुसार उप नाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती अजीजा सरशार जफर के सेवा अभिलेखों में की जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऊषा परमार, अवर सचिव ''कार्मिक''.

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2012

क्र. एफ-ए-5-16-2011-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री एस. एन. अग्रवाल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभिुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	12-12-2011 से 16-12-2011 तक.	5 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 11-12-2011 तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 17 एवं 18-12-2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

क्र. एफ-ए-5-25-2011-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री मूलचंद गर्ग, न्यायाधीश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर, खण्डपीठ, इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभिुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	28-11-2011 से 2-12-2011 तक.	5 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित	अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 एवं 27-11-2011 एवं अवकाश के पश्चात में दिनांक 3 एवं 4-12-2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2012

क्र. एफ. 1 (ए) 110-86-ब-2-दो .—श्री विवेक कुमार जौहरी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, पु. मु., भोपाल को दिनांक 27 जनवरी से 4 फरवरी 2012 तक, कुल नौ दिवस के अर्जित अवकाश की दिनांक 26 जनवरी एवं 5 फरवरी 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार जौहरी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक कुमार जौहरी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक कुमार जौहरी, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्र. एफ-1 (ए) 400-88-ब-2-दो .—श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पु. मु., भोपाल को दिनांक 10 से 24 जनवरी 2012 तक पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत सपरिवार ''अण्डमान निकोबार'' परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है :—

1. श्री पुरुषोत्तम शर्मा—स्वयं
2. श्रीमती प्रिया शर्मा—पत्नी
3. कु. देवांशी गौतम—पुत्री
4. श्री पार्थ गौतम—पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पु. मु., भोपाल का कार्य श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री पुरुषोत्तम शर्मा भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिदेशक, (शिकायत) पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पु. मु., भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, अपर मुख्य सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2012

क्र. एफ-3-157-2011-बत्तीस.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संशोधन 1996) की धारा 17 क(1) के अन्तर्गत कुक्षी विकास योजना 2021 हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17-क (2) के अनुसार कार्य करेगी :—

अधिनियम की धारा 17क(1) की उपधारा	पद/व्यक्ति का नाम	संस्था का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगर पंचायत, कुक्षी	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, धार	सदस्य
(ग)	सांसद	लोकसभा क्षेत्र, धार	सदस्य
(घ)	विधायक	विधानसभा क्षेत्र, कुक्षी	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, कुक्षी	सदस्य
	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, निसरपुर	सदस्य
	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, डही	सदस्य
(च)	सरपंच	ग्राम पंचायत, कावडिया खेड़ा	सदस्य
	सरपंच	ग्राम पंचायत, कुरदीपुरा	सदस्य
	सरपंच	ग्राम पंचायत, तालनपुर	सदस्य
	सरपंच	ग्राम पंचायत, सिलकुआ	सदस्य
	सरपंच	ग्राम पंचायत, सुसारी	सदस्य
	सरपंच	ग्राम पंचायत, कापसी	सदस्य
	सरपंच	ग्राम पंचायत, बोरदा	सदस्य
(छ)	1. प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला धार	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर ऑफ इंडिया	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, कुक्षी	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वा. यां., कुक्षी	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	वनमण्डल अधिकारी, कुक्षी	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्दौर	समिति संयोजक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (श्रम) शाखा मण्डला

मण्डला, दिनांक 25 जनवरी 2012

क्र. 01-2012- बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधि. 1976 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं के. के. खरे, कलेक्टर, मण्डला बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधि. 1976 की धारा 13(2) के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा धारा 13(3) के अन्तर्गत अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन एतद्द्वारा करता हूं:—

जिला स्तरीय सतर्कता समिति जिला मण्डला (म. प्र.)

धारा 13(2) खण्ड (क) के अनुसार

(1) अपर जिला दण्डाधिकारी, मण्डला (म.प्र.) अध्यक्ष

धारा 13(2) खण्ड (ख) के अनुसार

(1) श्री बसोरी, ग्राम चरगांव, विकासखंड बीजाडांडी, तहसील निवासी, जिला मण्डला. सदस्य
(2) श्री जमुना भगत, मु. ग्राम झण्डाटोला, विकासखण्ड मोहगांव तहसील जिला मण्डला. सदस्य
(3) श्री चुन्नीलाल झारिया, मु. ग्रा. लिंगापौड़ी, विकासखण्ड मण्डला, जिला मण्डला. सदस्य

धारा 13 (2) खण्ड (ग) के अनुसार

(1) श्री जगदीश ठाकुर, बिछिया जिला मण्डला सदस्य
(2) श्री भगत राय, मु. ग्रा. ग्वारा, जिला मण्डला सदस्य

धारा 13 (2) खण्ड (घ) के अनुसार

(1) पुलिस अधीक्षक, मण्डला, जिला मण्डला सदस्य
(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मण्डला. सदस्य
(3) सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, मण्डला. सदस्य

धारा 13 (2) खण्ड (च) के अनुसार

(1) लीड बैंक मैनेजर, मण्डला सदस्य

1. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग मण्डला.

धारा 13(2) खण्ड (क) के अनुसार

(1) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मण्डला अध्यक्ष

धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार

(1) श्रीमती सिया बाई शाह पति श्री शिवशाह, सदस्य कृषि उपज मण्डी. सदस्य
(2) श्री भीष्म द्विवेदी, आ. श्री के. एल. द्विवेदी, जनपद सदस्य, जनपद पंचायत मण्डला. सदस्य
(3) श्री मनोज फागवानी आत्मज श्री जे.डी. फागवानी अधिवक्ता, मण्डला. सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार

(1) श्री दीपक सिंधिया आत्मज विपत लाल सिंधिया, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड मण्डला. सदस्य
(2) श्री दशरथ सिंह आत्मज श्री विष्णु प्रसाद सैयाम, सरपंच ग्राम पंचायत, मानादेही. सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (घ) के अनुसार

(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मण्डला. सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (च) के अनुसार

(1) शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मण्डला सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड-- (छ) के अनुसार

(1) तहसीलदार, मण्डला सदस्य

2. अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग अधिकारी, नैनपुर.

धारा 13 (3) खण्ड (क) के अनुसार

(1) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.) अध्यक्ष

धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार

(1) श्री अखिलेश शुक्ला, नैनपुर जिला मण्डला सदस्य
(2) श्री केसरी पटैल, नैनपुर जिला मण्डला सदस्य
(3) श्रीमती ओमवती उइके, सरपंच ग्राम पंचायत, रामदेवरी, तहसील नैनपुर जिला मण्डला. सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार

(1) श्री गम्मत सिंह ठाकुर, ग्राम जामगांव, तहसील, नैनपुर जिला मण्डला. सदस्य
(2) श्री सुखदेव ठाकुर, ग्राम मानेगांव, तहसील जिला मण्डला. सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (घ) के अनुसार

(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नैनपुर. सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (च) के अनुसार
(1) शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक आफ इंडिया, नैनपुर सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (छ) के अनुसार
(1) तहसीलदार, नैनपुर सदस्य

3. अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग बिछिया.

धारा 13 (3) खण्ड (क) के अनुसार
(1) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अध्यक्ष

धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार
(1) श्री निरंजन सिंह मरकाम, मु. ग्राम-घुघरी, तहसील बिछिया, मण्डला. सदस्य
(2) श्री अशोक नानकानी, बिछिया, जिला मण्डला सदस्य
(3) सुश्री भगवती बाई पिता फूलसिंह ग्राम मदनपुर घुघरी, तहसील बिछिया, मण्डला. सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार
(1) श्री मुन्ना लाल मरकाम, ग्राम खुर्सीपार, पोस्ट-मंगली, तहसील बिछिया, जिला मण्डला. सदस्य
(2) श्री सुरेश इारिया, आत्मज श्री डुमरा झारिया, बिछिया, जिला मण्डला. सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (घ) के अनुसार
(1) अनुविभागीय अधिकारी, (पुलिस), तहसील बिछिया जिला मण्डला. सदस्य
(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बिछिया, जिला मण्डला. सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (च) के अनुसार
(1) शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक आफ इंडिया, बिछिया सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (छ) के अनुसार
(1) तहसीलदार, बिछिया सदस्य

4. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग निवास.

धारा 13 (3) खण्ड (क) के अनुसार
(1) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) निवास अध्यक्ष

धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार
(1) डॉ. विनय सर्वटे, ग्रा. जबेरा, पो.आ. देवरीकला बबलिया, तहसील निवास जिला मण्डला. सदस्य
(2) श्री कमलेश जैन, मुकाम, निवास तहसील, निवास जिला मण्डला. सदस्य
(3) श्री जाकिर हुसैन, ग्राम बीजाडांडी तहसील निवास जिला मण्डला. सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार
(1) श्री संतोष सोनी, निवास जिला मण्डला सदस्य
(2) श्रीमती प्रेमवती कुशरे, ग्राम जबेरा तहसील निवास जिला मण्डला. सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (घ) के अनुसार
(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत निवास. सदस्य
(2) मंडल संयोजक, आदिमजाति विभाग, निवास सदस्य
(3) थाना प्रभारी, निवास (मण्डला) सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (च) के अनुसार
(1) शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, निवास सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (छ) के अनुसार
(1) तहसीलदार, निवास

के. के. खरे, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462011

शुद्धिपत्र

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2012

क्र. एफ. 67-99-10-तीन-191.—मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2010 के पृष्ठ क्रमांक 2320 पर आयोग के आदेश क्रमांक एफ-67-99-10-तीन-2520, दिनांक 27 अगस्त, 2010 द्वारा नगरपालिका परिषद् ब्यावरा जिला राजगढ़ के अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी सुश्री प्रीति बन्टी शर्मा-योगेश शर्मा, को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहने के कारण 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया गया है.

उक्त आदेश में **नगर पंचायत ब्यावरा** के स्थान पर **नगरपालिका परिषद, ब्यावरा** पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 9 जनवरी 2012

क्र. 9-ए 82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	शमशाबाद	3.505	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा, जिला-विदिशा.	संजय सागर (बाह) मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नटेरन, जिला विदिशा में किया जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 2 फरवरी 2012

प्र. क्र. 11-ए 82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	लखार	2.259	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा, जिला-विदिशा.	सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नटेरन, जिला विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12-ए-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन,

इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	सतपाड़ा	6.467	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा, जिला-विदिशा.	सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नटेरन, जिला विदिशा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 17 जनवरी 2012

क्र. क-प्र.भू-अर्जन-18अ-82-वर्ष 10-11-421.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाने (6) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	खुरईथावरी	03	4.91	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.	टिकारी जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु.
		योग . .	03	4.91		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.—टिकारी जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 31 जनवरी, 8 फरवरी 2012

क्र. 966-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाने (6) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	बण्डा	पगरा	58	33.235	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग मुख्यालय, दमोह.	पंचमनगर (पगरा) मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु बांध एवं डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
सागर	शाहगढ़	भीकमपुर रैयतवारी	5	1.169	-''-	-''-
सागर	शाहगढ़	भीकमपुर आवाद	61	30.052	-''-	-''-
सागर	शाहगढ़	भीकमपुर मुस्तकरी	17	37.951	-''-	-''-
सागर	शाहगढ़	चकेरी शाहगढ़	501	229.796	-''-	-''-
सागर	बण्डा	बमाना	434	128.348	-''-	-''-
सागर	बण्डा	चन्द्रपुरा	466	302.447	-''-	-''-
सागर	बण्डा	औडाहो	405	168.34	-''-	-''-
सागर	बण्डा	भैडाखास	86	43.596	-''-	-''-
सागर	बण्डा	खजरी	76	70.595	-''-	-''-
सागर	शाहगढ़	सदागिर	123	58.557	-''-	-''-
			योग . .	1104.086		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 31 जनवरी 2012

क्र. क्यू.-भू-अर्जन-2011-12-02.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके

द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	सनाई	264	0.10	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग, करैरा, जिला शिवपुरी.	सिंध दांया तट नहर (महुअर नदी पश्चात्)की शाखा-डी-8 की माइनरों के निर्माण कार्य हेतु.
			265	0.05		
			672	0.01		
			678	0.02		
			266	0.07		
			605	0.01		
			606	0.05		
			608	0.07		
			630	0.05		
			607	0.01		
			721	0.11		
			622	0.07		
			623	0.05		
			625	0.04		
			626	0.02		
			627	0.01		
			631	0.05		
			651	0.01		
			653	0.03		
			723	0.06		
			654	0.07		
			677	0.08		
			675	0.01		
			676	0.04		
			715	0.06		
			680	0.02		
			681	0.05		
			720	0.09		
			722	0.05		
			903	0.17		
			724	0.02		
			737	0.01		
			901	0.01		
			904	0.07		
			906	0.25		
			921	0.22		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			907	0.10		
			917	0.02		
			1500	0.02		
			1501	0.02		
			1503	0.03		
			1504	0.28		
			350/1/1	0.12		
			350/1/2	0.04		
			351/1/2	0.05		
			350/2	0.05		
			350/3	0.05		
			350/4	0.10		
			350/5	0.03		
			351/1/1	0.06		
			351/1/3	0.16		
			351/2	0.07		
			351/3	0.15		
			351/4	0.06		
			831	0.12		
			832	0.01		
			833	0.14		
			834	0.15		
			835	0.11		
			836	0.10		
			1564	0.04		
			1565	0.01		
			1566	0.02		
			1568	0.12		
			1567	0.15		
			1569	0.18		
			1573	0.06		
			1574	0.05		
			1570/2	0.07		
			1571	0.16		
			1586	0.02		
			1572	0.11		
			1575	0.04		
			योग . .	5.18		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू.-भू-अर्जन-2011-12-3.---चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा

4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	बिल्हारीकलां	633	0.10	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी.	सिंध दांया तट नहर (महुअर नदी पश्चात्) की शाखा-डी-8 की माइनरों के निर्माण कार्य हेतु.
			634	0.13		
			640/2	0.30		
			649	0.15		
			650	0.06		
			653	0.12		
			654	0.06		
			669	0.26		
			663/1	0.01		
			663/2	0.02		
			664	0.14		
			666	0.01		
			667/2	0.25		
			667/3	0.05		
			670	0.03		
			योग . .	1.69		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंग्सली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 1 फरवरी 2012

प्र.क्र.-22अ-82-2011-12-क्र.225-भू-अर्जन-नहर-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अन्जड़	भमोरी	9.852	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-11, बड़वानी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सब-माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर कार्यालय, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 1 फरवरी 2012

प्र.क्र. 6अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन 925.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	बांडयाखापा	3.245	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	बघोली लघु जलाशय नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लिखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 8 अ-82-वर्ष 11-12-929.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है या आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार , एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	बोरगांव उर्फ शेरगढ़	37.403	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	शेरगढ़ जलाशय बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लिखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 9 अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-930.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार , एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	खापा विरान	12.046	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	पांढरी लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लिखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 10 अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-924.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार , एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	खड़की	23.183	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	पांढरी लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लिखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र.-11 अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-923.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार , एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	सांईखेड़ा	0.360	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	सांईखेड़ा जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लिखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र.-12 अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-942.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार , एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	एकलहरा	8.757	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	बोरगांव लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लिखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र.–13 अ–82–वर्ष 2011–12–भू–अर्जन–943.––चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार , एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	हिरड़ी	11.370	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	बोरगांव लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्र.–259–भू–अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	ग्राम तेंदुन	0.15	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नगर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली सिरमौर वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. वी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्र.1487-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	बोडा	1.128	सचिव, कृषि उपज मण्डी नरसिंहगढ़.	उपमण्डी बोडा एप्रोच रोड मार्ग हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 4 फरवरी 2012

क्र. 1553-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	दुर्गपुरा	16.187	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग राजगढ़.	दूर्गपुरा तालाब के डूब एवं वेस्ट वियर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
		अचलपुरा	00.273		
		कुल . .	16.460		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 4 फरवरी 2012

क्र.-779-दस-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)

में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	बहपुर	0.922	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनुपपुर.	नोनघटी जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
		बहपुरी	1.347		
		योग . .	2.269		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 6 फरवरी 2012

पत्र क्रमांक भू-अर्जन-तेंदूखेड़ा-2012-617.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील/तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	जबेरा	नोहटा	0.22	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह.	मडा जलाशय (पूरक प्रकरण) के नहर हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—मडा जलाशय के नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 6 फरवरी 2012

प्र. क्र. 01-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	भूस्वामी का नाम, खसरा नं./रकबा क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	बमीठा	श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी श्री रामनाथ ब्रा. नि. पीरा 96/1ख रकबा 2.098	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनगर.	खजुराहो रेल्वे स्टेशन के पास प्रस्तावित बजट होटल हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 6 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्र. क्र. 08-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	कोहदड़	3.442	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.	छनेरा सिंचाई तालाब के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा (2) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा (3) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 09-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त

अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	सिर्रा	6.308	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.	नावली तालाब सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा (2) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा (3) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 10-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	नावली	3.312	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.	नावली तालाब सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा (2) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा (3) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 11-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	सहेजला	2.64	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.	नावली तालाब सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा (2) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा (3) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 8 फरवरी 2012

प्र. क्र. 02 अ-82-2011-12-क्र. क-वाचक भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे.में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	बुरहानपुर	जाफरपुरा	1.100	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर	अन्जनहोड बांध निर्माण योजना हेतु.
		दौलतपुरा	56.340		
		दौलतपुरा	1.350	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर.	अन्जनहोड बांध योजना के नहर निर्माण हेतु.
		जसोंदी	5.851		
		रायसेना	2.152		
		योग . .	66.793		

(2) अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा, प्लान कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03 अ-82-2011-12-क्र. क-वाचक भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हे.में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	बुरहानपुर	धामनगांव	105.210	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, बुरहानपुर	धामनगांव सिंचाई तालाब योजना
		गौलखेड़ा	2.760		
बुरहानपुर	बुरहानपुर	धामनगांव	4.522	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, बुरहानपुर.	धामनगांव सिंचाई नहर योजना
		गोंधनखेड़ा	0.670		
		चापोरा	5.063		
		योग . .	118.225		

(2) अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा, प्लान कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 8 फरवरी 2012

क्र. 02-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	डंगरऊ	1.68	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र.2, ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की पंचमपुरा मायनर शाखा नहर के निर्माण हेतु
		योग . .	1.68		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 08-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	गुर्री	0.52	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की पंचमपुरा मायनर शाखा नहर के निर्माण हेतु
		योग . .	0.52		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 09-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	गुर्री	2.67	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की गुर्री मायनर शाखा नहर के निर्माण हेतु
		योग . .	2.67		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 9 फरवरी 2012

क्र. 1314-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बद्ध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	बदनावर	धारसीखेड़ा	0.753	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, लि. इन्दौर.	सरदारपुर-बदनावर राजमार्ग क्रमांक 35 पर धारसीखेड़ा स्थित एलाईमेन्ट सुधार में प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बदनावर एवं संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, लि. इन्दौर (म. प्र.) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 17 जनवरी 2012
4 फरवरी 2012

प्र. क्र. 5-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—नटेरन
(ग) ग्राम—धोबीखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.572 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
381/1	0.141
381/2	0.162
382/1	0.173
382/2	0.016
383	0.135
384	0.140
397/1	0.130
397/2	0.162
398/3	0.303
399	0.090
400	0.049
402/1	0.124
406	0.124
407/2	0.108
408	0.022
409	0.040
411	0.135
441/1	0.027
439	0.016
438	0.108
437	0.152
436/1क	0.167
436/2	0.108
427/1ख	0.113
427/1क	0.281
427/2ख	0.022
427/2क	0.189
429	0.027
462/2क	0.054
466	0.022
465/1	0.260
465/2	0.189
477/1क	0.205
477/1ख	0.243
477/2	0.227
479	0.108
योग . .	4.572

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—संजय सागर (बाह) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद /गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—नटेरन

(ग) ग्राम—खजूरी शमशाबाद

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.189 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14	0.040
17/1	0.200
26	0.049
24	0.103
21/2	0.238
50/2	0.108
51/2	0.162
118/2	0.027
121	0.162
124/1क 2	0.065
124/1ख	0.097
123	0.086
124/2	0.027
148	0.011
147	0.360
220/2	0.125
220/1	0.020
219/1	0.378
219/2	0.032
218/1/1ख	0.170
218/1/1क 1	0.120
213	0.149
312/1	0.232
311/1	0.060
311/2	0.220
327	0.208
329/3/2	0.178
357	0.039
356	0.054
141	0.108
143/2	0.238
237	0.011
236/1/1	0.216
236/2/1	0.167
261/3	0.518
263/1	0.189
223	0.022
योग . .	5.189

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—संजय सागर (बाह) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद /गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 28-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—नटेरन

(ग) ग्राम—तोफाखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.844 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5	0.428
4	0.040
6/1	0.109
75	0.270
76	0.280
77/1	0.178
78	0.136
79	0.309
85/2	0.129
86	0.129
87/2	0.157
92	0.940
100	0.420
68	0.109
99/1	0.100
99/2	0.209

(1)	(2)
99/3	0.232
98/1	0.225
26	0.379
27/3	0.209
27/2	0.309
27/9	0.051
35	0.133
36	0.239
37	0.124
योग . .	5.844

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद /गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 1 फरवरी 2012

क्र. 224-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 03-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—अंजड़

(ग) ग्राम—मंडवाड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.799 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/3 पैकि.	0.210
1/4 पैकि.	0.257
3/5 पैकि.	0.223
3/6 पैकि.	0.040
3/7 पैकि.	0.316
4/1 पैकि.	0.072
4/3 पैकि.	0.121
5/1 पैकि.	0.016
5/2 पैकि.	0.287
5/3 पैकि.	0.065
7/3 पैकि.	0.089
7/4 पैकि.	0.153
7/5 पैकि.	0.060
8/1, 8/2 पैकि.	0.134
10/1 पैकि.	0.166
10/2 पैकि.	0.166
11 पैकि.	0.130
12 पैकि.	0.194
13/2 पैकि.	0.372
15/3 पैकि.	0.275
16 पैकि.	0.242
20/1 पैकि.	0.469
20/3 पैकि.	0.202
48/4 पैकि.	0.186
47/2, 49/1 पैकि.	0.162
49/2 पैकि.	0.024
49/4 पैकि.	0.118
50/1ख पैकि.	0.222
51 पैकि.	0.056
55/4, 56/1 पैकि.	0.429
56/2/2 पैकि.	0.130
56/2/3 पैकि.	0.251
58 पैकि.	0.202
76/1ख, 76/2, 76/3 पैकि.	0.417
79 पैकि.	0.413
85/1 पैकि.	0.089
85/4 पैकि.	0.227
88/1 पैकि.	0.271
89/1 पैकि.	0.020

(1)	(2)
89/3 पैकि.	0.227
93/1 पैकि.	0.219
92/1, 93/3 पैकि.	0.130
94/1 पैकि.	0.121
94/2 पैकि.	0.097
94/3, 95 पैकि.	0.194
98 पैकि.	0.291
99/2 पैकि.	0.263
100/2 पैकि.	0.219
119/3 पैकि.	0.210
121/1/1 पैकि.	0.121
121/1/2 पैकि.	0.113
121/3 पैकि.	0.016
122/1 पैकि.	0.154
125 पैकि.	0.040
126/4 पैकि.	0.202
128/5, 129/1 पैकि.	0.242
133/2 पैकि.	0.259
159/2 पैकि.	0.486
159/3 पैकि.	0.312
159/4 पैकि	0.384
160/4 पैकि.	0.235
161/1 पैकि.	0.162
161/2 पैकि.	0.202
164/1/1 पैकि.	0.227
164/2, 164/3, 164/4 पैकि.	0.215
167/1 पैकि.	0.182
167/2 पैकि.	0.056
167/3 पैकि.	0.056
167/4 पैकि.	0.138
167/5 पैकि.	0.170
171/1 पैकि.	0.356
197/1 पैकि.	0.024
योग . .	13.799

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी टेलमाईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बड़वानी व भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 223-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 04-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—बड़वानी

(ग) ग्राम—सेगांवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.827 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
39/5 पैकि.	0.016
40 पैकि.	0.162
41/1 पैकि.	0.162
42/1 पैकि.	0.125
43 पैकि.	0.121
44/1, 45/2 पैकि.	0.113
44/2, 45/6 पैकि.	0.109
62 पैकि.	0.146
63 पैकि.	0.105
64/2 पैकि.	0.210
64/3 पैकि.	0.016
65/1 पैकि.	0.202
67/2 पैकि.	0.340
योग . .	1.827

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी टेलमाईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बड़वानी व भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 1 फरवरी 2012

प्र. क्र. 1-अ-82-वर्ष 11-12-भू-अर्जन-931.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—भैसदेही

(ग) नगर/ग्राम—गुदगांव, पटवारी हल्का नम्बर—39

(घ) लगभग क्षेत्रफल—28.772 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
44/1	0.020
44/2	0.921
45/2	0.372
45/1	0.103
46	0.115
50	0.909
51	1.093
52/1	0.090
52/2	1.347
52/3	1.000
54	0.405
55/1	1.133
86	0.058
49/5	0.121
55/2	1.833
55/3	1.492
56/1	0.101
56/2	1.375
56/3	0.751
60/1	0.971
60/2	1.027
62	0.113
63	2.691
64/1	0.874
64/2	0.567
64/3	0.258
77	1.436
79	0.081
127	1.038
80	1.611
82	1.073
83	2.040
85	1.253
126	0.397
89	0.103
योग . .	28.772

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—चिल्लकापुर जलाशय के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 1-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-940.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—मुलताई

(ग) नगर/ग्राम—देहगुड़, पटवारी हल्का नम्बर—12

(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.665 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
443/3	0.315
441	0.800
414	1.720

(1)	(2)
409	0.340
412	0.036
413	0.057
415	2.170
418	0.436
419	0.214
420	0.121
421	0.121
422	0.337
427	0.420
428	1.475
430	1.226
434	0.170
435	0.729
437	0.070
436	1.080
477	0.100
478	0.870
429/1	0.017
472	0.143
473	0.240
476	0.138
500/1	0.480
504/1	0.300
502	0.069
504/2	0.462
509/2	0.370
439/1	0.240
474	0.120
408	0.670
416	0.609
योग . .	16.665

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—देहगुड़ जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-932.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—भैंसदेही

(ग) नगर/ग्राम—गुदगांव, पटवारी हल्का नम्बर-39

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.986 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
71/2	0.060
77	0.084
71/1	0.267
69	0.454
73	0.121
योग . .	0.986

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—चिल्लकापुर जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-939.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—मुलताई

(ग) नगर/ग्राम---धारणी, पटवारी हल्का नम्बर-21

(घ) लगभग क्षेत्रफल—49.925 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
240	0.500
241/2	0.485
242/4	0.015
242/7	0.180
241/3	0.405
242/5	0.278
242/1	0.570
243/3	0.265
241/1	0.649
242/6	0.140
241/4	0.420
234	0.810
239	1.797
238	4.508
237	1.416
159	2.038
243	0.680
235/2	0.426
242/2	0.405
235/1	2.938
236	0.561
195	0.400
233	0.267
230/1	0.793
200/1	0.145
232/1	0.070
230/2	0.010
200/2	0.004
196	0.456
194	0.010
96/4	0.085
99/3	0.004
99/8	0.102
11/2	0.385
190	0.067
95	0.340
100/2	0.270
97	0.214
96/1	0.170
99/5	0.282
(1)	(2)
96/2	0.065
99/1	0.035
99/6	0.102
11/3	0.094
96/3	0.085
99/2	0.030
99/7	0.102
11/1	0.405
98	0.600
171	0.413
168	0.180
178	0.170
181	0.526
182	1.611
158/2	0.908
158/5	0.500
160/2	0.333
158/6	0.510
160/1	0.355
161	2.250
162/1	0.246
162/6	0.504
162/2	0.247
162/4	0.503
162/3	0.247
162/5	0.503
163/2	0.421
14	0.531
8	0.050
27	1.050
28/1	0.900
2	0.801
3	0.174
4/1	0.137
13/1	0.013
4/2	0.199
10	0.546
5	0.550
12	0.080
11/4	0.160
9	0.998

(1)	(2)
177	0.113
179/1	0.065
67/1	0.200
252/6	0.300
252/5	0.017
235/3	0.044
163/1	2.466
163/3	0.552
164	0.030
180/2	0.206
252/7	0.153
252/16	0.038
30/2	0.210
180/1	0.409
167	0.121
179/2	0.016
197	0.154
199/1	0.959
199/3	0.239
199/2	0.239
229/2	0.010
176/1	0.537
176/5	0.240
176/2	0.165
176/3	0.580
176/6	0.028
253	0.140
योग . .	49.925

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—देहगुड़ जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-937.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—भैसदेही
(ग) नगर/ग्राम—चिल्कापुर, पटवारी हल्का नम्बर-31
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.437 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
20/1	0.085
16/1	0.015
16/2	0.087
16/3	0.046
17/1	0.135
15/1	0.050
15/2	0.058
12	0.072
14/1	0.654
14/2	0.019
10	0.216
योग . .	1.437

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—चिल्लकापुर जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-941.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,

इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—मुलताई

(ग) नगर/ग्राम—आमाडोह, पटवारी हल्का नम्बर-20

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.034 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
173/8	0.090
173/10	0.558
173/12	0.875
173/9	0.482
173/11	0.972
173/4	0.202
173/6	0.688
173/2	0.569
173/5	0.405
173/7	0.485
173/3	0.300
175	1.502
176/1	0.202
176/2	0.480
176/3	0.380
176/4	0.400
177/1	0.270
177/2	0.050
177/3	0.022
207/2	0.102
योग . .	9.034

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—देहगुड़ जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-933.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—मुलताई

(ग) नगर/ग्राम—खैरवानी, पटवारी हल्का नम्बर-46

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.602 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
200/1	0.602
योग . .	0.602

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पिपरिया लघु जलाशय निर्माण में स्पील हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-935.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—भैंसदेही

(ग) नगर/ग्राम—घोन्डी, पटवारी हल्का नम्बर-38
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.134 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
3	0.436
5/1	0.024
5/2	0.141
8/3	0.323
9	0.210
योग . .	1.134

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—चिल्लकापुर जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-922.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—बुकाखेड़ी, पटवारी हल्का नम्बर-51
(घ) लगभग क्षेत्रफल—64.988 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
312/10	0.161
312/6	0.089
312/9	0.405
312/4	0.623
312/8	1.037
312/5	0.089
312/3	0.623
312/2	1.039
312/1	0.622
312/7	1.038
298	0.340
266/2	0.225
256/2	0.227
255	0.170
307	0.057
300/2	0.405
297/2	0.160
266/1	1.272
265/2	0.214
265/1	0.162
257/2	0.287
256/1	0.130
305	0.291
302	0.267
300/1	0.485
310/2	0.002
308/2	0.014
306/2	0.126
304/2	0.134
303/2	0.066
301/2	0.113
299/2	0.110
295/3	0.086
297/1	1.812
297/6	0.550
297/10	0.310
295/1	0.100
297/3	0.125
297/7	0.100
295/2	0.105
67/2	0.115
61/1	0.028
297/4	0.115
297/8	0.101
67/3	0.040

(1)	(2)	(1)	(2)
61/2	0.030	176	0.030
58	0.243	173	0.445
297/5	0.340	169	0.356
297/9	0.350	131/9	0.174
294	0.870	175	0.644
287	0.030	171	0.283
293/1	0.267	131/4	0.020
282	0.113	174	0.373
277/2	0.010	170	0.291
276/2	0.041	167	0.202
164/1	0.072	163	0.551
164/4	0.033	161	1.862
293/2	0.371	159	2.104
286	0.170	155	2.165
164/2	0.083	156/1	0.121
164/5	0.054	156/2	0.122
130	0.073	154	1.959
164/6	0.051	137	0.450
164/3	0.031	136	0.450
293/3	0.232	135	0.615
288/1	0.010	82	0.551
277/1	0.005	86	0.242
276/1	0.040	133/1	0.599
290/1	0.576	133/2	0.598
273	0.120	132	0.624
172/2	0.174	131/8	0.250
166/1	0.082	131/7	0.146
129/1	0.045	131/6	0.010
290/2	0.460	131/5	0.010
271	0.140	131/1	0.210
172/1	0.174	131/3	0.021
166/2	0.080	119/2	0.819
131/2	0.051	127/3	0.307
129/2	0.045	125/2	0.166
285	0.405	124/2	0.144
279	0.041	121/2	0.418
278	0.082	125/1	0.083
270	0.214	124/1	0.071
268	0.182	121/1	0.410
177	0.243	119/1	0.410
162	0.267	125/3	0.083
160	1.473	124/3	0.072
158	0.733	119/3	0.410
157	0.526	122/1	0.385

(1)	(2)
120/3	0.040
120/8	0.101
120/11	0.028
120/13	0.194
118/10	0.254
122/2	0.101
120/5	0.020
120/6	0.413
120/10	0.032
122/3	0.089
120/1	0.092
120/4	0.040
120/9	0.247
120/12	0.028
121/3	0.209
120/7	0.239
118/11	0.202
118/13	0.092
111/1	0.257
81/2	0.433
84/2	0.196
80	0.445
77	0.097
72/1	2.010
92/2	0.120
72/2	0.450
92/1	0.141
71	0.514
56	0.275
65/2	0.255
70	0.146
57	0.441
55	0.299
69/1	0.154
68	0.259
62/1	0.140
69/2	0.143
62/2	0.166
59	0.267
67/1	0.100
67/4	0.040
61/3	0.080
60	0.259
66/1	0.162
66/2	0.797
65/1	0.586
85	0.229
92/3	0.129
92/4	0.144
92/5	0.180
92/6	0.220
96/1	0.190
93	0.295
95	0.080
94	0.295
310/1	0.006
308/1	0.026
306/1	0.254
304/1	0.267
303/1	0.132
301/1	0.227
299/1	0.222
281/2	0.103
280/2	0.022
78/1	0.492
89	1.092
78/2	0.164
76	1.011
79	0.328
165	0.162
168	0.324
274	0.052
291	0.870
284	0.295
283	0.057
281/1	0.067
280/1	0.010
275	0.020
122/4	0.238
120/2	0.052
120/14	0.231
118/9	0.089
118/12	0.100
64/3	0.202
योग . .	64.988

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बघोली लघु जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-936.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—भैसदेही
(ग) नगर/ग्राम—सरई, पटवारी हल्का नम्बर-36
(घ) लगभग क्षेत्रफल—27.061 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
119	0.405
121	2.833
127	0.445
139	3.431
125	4.602
138/2	0.349
131	0.061
120/2	1.221
122/1	2.052
123/1	1.358
123/2	0.093
140/3	0.117
138/1	0.182
128	0.136
120/1	3.065
122/2	2.288
123/4	0.912
123/3	0.133
138/3	1.748
126	1.630
योग . .	27.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कौड़ी जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-934.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—भैसदेही
(ग) नगर/ग्राम—कौड़ी, पटवारी हल्का नम्बर-36
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.657 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
3/2	0.194
3/11	0.040
3/9	0.036
19/3	0.214
22	0.231
41/2	0.041
39/3	0.065
37	0.103
3/3	0.210
3/12	0.057
3/10	0.040
19/1	0.100
44/2	0.149
41/3	0.041
39/1	0.210
54/1	0.053

(1)	(2)
3/4	0.257
3/13	0.036
17	0.107
19/2	0.133
41/1	0.045
40	0.089
38	0.137
54/2	0.069
योग . .	2.657

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कौड़ी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 24-अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-921.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—आमला
(ग) नगर/ग्राम—खेड़ली बाजार, पटवारी हल्का नम्बर-20
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.092 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
488/1	0.092
योग . .	0.092

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बुण्डाला दायीं तट नहर माईनर 9/1 का निर्माण हेतु अतिरिक्त निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 27-अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-938.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—करपा, पटवारी हल्का नम्बर-41
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.408 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
313/1	0.085
314	0.028
315	0.032
322/1	0.012
322/3	0.016
322/2	0.018
222/4	0.024
326/1	0.012
326/2	0.024
329/2	0.016
329/1	0.008
327	0.004
331	0.024
333	0.008
338	0.028
328	0.004
332	0.008

(1)	(2)
335	0.069
337	0.024
340	0.101
398/2	0.016
397	0.101
484/1	0.028
485	0.085
361	0.008
388	0.032
374/5	0.004
374/9	0.008
375/2	0.041
396/2	0.125
396/5	0.028
398/1	0.028
421/1	0.028
421/2	0.028
484/4	0.024
484/2	0.056
484/5	0.024
484/3	0.024
586/2	0.060
586/3	0.081
374/4	0.004
374/6	0.004
374/7	0.004
374/8	0.008
374/10	0.016
योग . .	1.408

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—करपा लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 2 फरवरी 2012

प्र. क्र. 34-अ-82-2010-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम—गिरधौरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—2.486 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
19	0.018
367	0.361
260/1/2	0.066
250/1	0.247
16	0.185
20/3	0.097
251/2	0.062
260/1/3	0.066
260/2	0.066
260/1/1	0.066
327/3	0.229
6	0.115
7/1	0.396
257/1	0.044
251/1	0.062
251/3	0.062
327/1	0.185
257/5/2	0.159
योग . .	2.486

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 36-अ-82-2010-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—लवकुशनगर

(ग) ग्राम—बगमऊ

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—5.829 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1266	0.119
1671	0.017
542	0.023
1627	0.027
1618	0.068
621/1	0.086
1265	0.064
1267	0.008
1278	0.035
649/1	0.077
644/2	0.058
649/2	0.077
548	0.074
1279/2	0.057
1280/2	0.032
1285	0.019
1680/1	0.234
638	0.071
1264	0.096
611/1	0.068
534	0.052
639	0.058
640	0.106
645	0.068
644/1	0.066
1515	0.192
1629	0.020
1628	0.090
621/2	0.086
619	0.053
67	0.068
609	0.010
69	0.036
614	0.087
1498	0.182
1495	0.144
1493	0.077
1494	0.087
1668	0.189
1678	0.122
539	0.015
1589	0.115
1588	0.115
1193/1	0.139
59	0.015
650	0.058
651	0.034
751/1	0.020
57	0.010
1683	0.144
1582	0.020
1584/1	0.157
1662/1/2	0.044
1666/2	0.027
1511	0.148
1496	0.019
543	0.039
540	0.048
544	0.058
1479	0.068
1583	0.103
1584/2	0.045
1193/2	0.024
1279/1	0.084
1280/1	0.048
620/2	0.087
1682	0.029

(1)	(2)
1681	0.036
66	0.084
1336	0.116
1667	0.125
1595	0.125
1481	0.071
1513	0.024
536	0.158
1191	0.068
1286	0.158
550	0.015
554	0.033
योग . .	5.829

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 38-अ-82-2010-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम—टहनगा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—2.955 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
55	0.020
57	0.034
78	0.321
77	0.022
73	0.044
72	0.212
80	0.015
381/2	0.173
387/1	0.116
368/1	0.083
363/1	0.140
379	0.076
53	0.096
387/2	0.064
394	0.121
373/1	0.140
372/1	0.083
381/1	0.126
386	0.173
373/2	0.134
368/2	0.084
362	0.089
363/2	0.141
54	0.140
85	0.308
योग . .	2.955

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 43-अ-82-2010-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम—अक्टोंहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—4.353 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
465	0.160
576	0.102
577	0.202
586/2	0.173
594	0.199
460	0.064
772	0.255
666/2	0.178
667/2	0.111
678	0.020
592/1	0.231
578	0.360
667/1	0.082
668/1	0.072
680	0.135
682	0.135
684	0.173
524/2	0.101
525/2	0.173
530/1	0.111
531	0.072
573	0.192
676	0.231
459	0.115
574	0.154
575	0.072
587	0.120
533/1	0.192
588	0.087
466	0.081
योग . .	4.353

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 44-अ-82-2010-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—लवकुशनगर

(ग) ग्राम—देवीखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—4.171 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
205/2	0.160
205/1/2	0.144
183/1	0.208
201	0.088
199	0.014
65	0.038
294	0.330
59/2	0.048
63/2	0.022
17	0.096
22	0.096
23	0.092
60/1	0.072
21	0.104
78	0.520
212/2	0.237
61	0.128
284/2	0.015
69	0.260
73	0.128
74	0.064
296	0.096
183/2	0.208
24/2	0.184
71	0.188
67	0.136
68	0.018

(1)	(2)
75/2	0.048
205/1/1	0.272
75/1	0.048
76/1	0.109
योग . .	4.171

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्र. 115-वाचक-प्र.क्र. 6-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—धनखेडी (पूरक)
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.520 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
297/4	0.020
296/4	0.200
296/7	0.030
296/8	0.040
299/3	0.050
22/1/2	0.180
योग . .	0.520

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर.डी. 116530 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 11 की आर.डी. 870 से निकलने वाली एम.एल. 1 माईनर के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवकलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्र. भू-अर्जन-2012-150-प्र. क्र. 11-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—जोबट
(ग) ग्राम—कस्बाजोबट (ग्रामीण)
(घ) लगभग क्षेत्रफल —10.12 हेक्टर.

सर्वे नं. (1)	रकबा (हे. में) (2)
112	पेकी 0.48

(1)	(2)
154	पेकी 0.02
157	0.10
117	पेकी 0.20
158	पेकी 0.12
150/5	पेकी 0.07
150/8	पेकी 0.04
151/3	पेकी 0.04
150/6	0.12
150/7	पेकी 0.04
151/4	पेकी 0.02
151/5	0.08
155	पेकी 0.46
156	पेकी 0.03
163	पेकी 0.02
164	पेकी 0.34
150/8	पेकी 0.01
236	पेकी 0.18
237	पेकी 0.01
260	पेकी 0.76
264	पेकी 0.24
272	पेकी 0.02
277	पेकी 0.03
239	पेकी 0.10
274	पेकी 0.22
273	पेकी 0.24
275	पेकी 0.02
279	पेकी 0.13
283	पेकी 0.09
276	पेकी 0.06
430	पेकी 0.01
431	पेकी 0.15
433	पेकी 0.18
457	पेकी 0.40
460	पेकी 0.14
458	पेकी 0.15
459	पेकी 0.03
462	पेकी 0.02
469	पेकी 0.01
464/2	पेकी 0.24
464/3	पेकी 0.32
465	पेकी 0.05
467	पेकी 0.30
472	पेकी 0.03
622	पेकी 0.18
476	पेकी 0.50
480	पेकी 0.01
481	पेकी 0.10
483	पेकी 0.18
484	पेकी 0.42
486	पेकी 0.09
576	पेकी 0.92
577	पेकी 0.02
579	पेकी 0.32
616	पेकी 0.35
573	पेकी 0.12
617	पेकी 0.02
620	पेकी 0.27
621	पेकी 0.28
464/1	पेकी 0.02
योग . .	10.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—झाबुआ, जोबट, बाग, कुक्षी राजमार्ग क्रमांक 39 पर जोबट बायपास निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2012-146-प्र.क्र. 12-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर

(ख) तहसील—जोबट

(ग) ग्राम---देगांव

(घ) क्षेत्रफल ---0.63 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
499/1	पेकी 0.01
488/1	पेकी 0.23
488/2	पेकी 0.34
485/2	पेकी 0.05
योग . .	0.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है---झाबुआ, जोबट, बाग, कुक्षी राजमार्ग क्रमांक 39 पर जोबट बायपास निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2012-142-प्र.क्र. 13-अ-82-2011-12.---चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:---

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन---

(क) जिला---अलीराजपुर

(ख) तहसील---जोबट

(ग) ग्राम---कनवाड़ा

(घ) क्षेत्रफल ---4.14 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
578/1	पेकी 0.05
578/2	पेकी 0.26
579	पेकी 0.47
584	पेकी 0.22
586	पेकी 0.34
605	पेकी 0.86
606	पेकी 0.23
593	पेकी 0.04
594	पेकी 0.33
595	पेकी 0.12
610	पेकी 0.43
611	पेकी 0.47
614	पेकी 0.04
875	पेकी 0.25
876/1	पेकी 0.03
योग . .	4.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है---झाबुआ, जोबट, बाग, कुक्षी राजमार्ग क्रमांक 39 पर कनवाड़ा बायपास निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2012-154-प्र.क्र. 14-अ-82-2011-12.---चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:---

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन---

(क) जिला---अलीराजपुर

(ख) तहसील---जोबट

(ग) ग्राम---देहदला

(घ) क्षेत्रफल ---2.66 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
109	पेकी 0.18
110	पेकी 0.26
111	पेकी 0.16
125	पेकी 0.40
114	पेकी 0.28

(1)	(2)
121	पेकी 0.03
142	पेकी 0.39
124	पेकी 0.40
144/1	पेकी 0.26
144/2	पेकी 0.30
योग . .	2.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—झाबुआ, जोबट, बाग, कुक्षी राजमार्ग क्रमांक 39 पर जोबट बायपास निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2012-148-प्र.क्र. 15-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—जोबट
(ग) ग्राम—उदयगढ़
(घ) क्षेत्रफल —7.82 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
21	पेकी 0.43
20/2	पेकी 0.10
18	पेकी 0.37
17/3	पेकी 0.20
25	पेकी 0.33
149	पेकी 0.18
150	पेकी 0.02
148	पेकी 0.20
147	पेकी 0.23
146	पेकी 0.23
98	पेकी 0.03
145	पेकी 0.30
123	पेकी 0.16
121	पेकी 0.16
118	पेकी 0.18
117	पेकी 0.03
93/1	पेकी 0.09
116	पेकी 0.10
105	पेकी 0.29
106	पेकी 0.06
104	पेकी 0.06
103	पेकी 0.34
102	पेकी 0.10
100	पेकी 0.56
397/2	पेकी 0.16
400	पेकी 0.29
394/2	पेकी 0.15
401	पेकी 0.05
403	पेकी 0.02
397/1	पेकी 0.05
394/1	पेकी 0.06
379/1 पेकी	पेकी 0.28
377	पेकी 0.12
375	पेकी 0.23
374	पेकी 0.18
405/2	पेकी 0.02
405/1	पेकी 0.23
408	पेकी 0.68
417	पेकी 0.55
योग . .	7.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—झाबुआ, जोबट, बाग, कुक्षी राजमार्ग क्रमांक 39 पर उदयगढ़ बायपास निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2012-144-प्र.क्र. 16-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—जोबट
(ग) ग्राम—पिपलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.94 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
96	पेकी 0.20
110	पेकी 0.02
100	पेकी 0.28
105	पेकी 0.20
109	पेकी 0.02
101	पेकी 0.11
108	पेकी 0.22
106/2	पेकी 0.03
106/4	पेकी 0.01
106/5	पेकी 0.02
107/2	पेकी 0.02
106/7	पेकी 0.15
107/8	0.02
111	पेकी 0.06
112	पेकी 0.23
113	पेकी 0.02
114	पेकी 0.30
115/1	पेकी 0.03
योग . .	1.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—झाबुआ, जोबट, बाग, कुक्षी राजमार्ग क्रमांक 39 पर उदयगढ़ बायपास निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2012-152-प्र.क्र. 17-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—जोबट
(ग) ग्राम—प्रतापफलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.82 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
191	पेकी 0.31
192	पेकी 0.38
189	पेकी 0.13
योग . .	0.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—झाबुआ, जोबट, बाग, कुक्षी राजमार्ग क्रमांक 39 पर उदयगढ़ बायपास निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 4 फरवरी 2012

प्र. क्र. 53-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनौर
(ग) ग्राम—अमरौल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.273 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
1142 मि	5.511	0.870
1142 मि	0.918	
1142 मि	0.306	
1142 मि	0.612	
1146/1	1.505	0.28
1146/2	0.355	0.28
2630	0.899	0.109
2636	0.982	0.097
2637	0.836	0.204
2688	0.648	0.068
2689	0.637	0.068
2692/1	0.507	0.148
2692/2	0.507	0.149
	योग . .	2.273

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय की शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश जिला ग्वालियर कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 54-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनौर
(ग) ग्राम—सिकरौदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.581 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
11	1.207	0.454
7/11	1.194	0.756
7/12	0.794	0.008
47 मिन	1.093	0.233
47 मिन	1.092	0.056
48/4	0.418	0.119
50	2.247	0.238
58	0.080	0.2725
59	3.438	0.272
69	2.201	0.2465
73/1	1.238	0.056
73/2	1.238	0.352
92	0.846	0.153
96 मिन	1.255	0.212
97 मिन	0.666	0.153
	योग . .	3.581

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण हरसी उच्चस्तरीय की शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश जिला ग्वालियर कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 55-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनौर
(ग) ग्राम—प्रेमपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.913 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
102	2.195	0.238
103	1.034	0.140
104	0.333	0.031
105	2.581	0.115
106	0.920	0.064
107/1	0.447	0.051
107/2	0.462	0.104
108/2	0.669	0.417
111	3.573	0.155
113	1.515	0234
114	1.829	0.064
137/1	1.746	0.073
137/2	1.317	0.182
138	1.662	0.045
	योग . .	1.913

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय की शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश जिला ग्वालियर कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 58-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—डबरा
(ग) ग्राम—लखनपुरा, प.ह.नं. 61,
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.54 हेक्टेयर.

ग्राम—लखनपुरा, प.ह.नं. 61, तहसील—डबरा, जिला—ग्वालियर

सिंध रमौआ नहर की 2-आर माइनर के निर्माण हेतु आने वाली निजी भूमि का विवरण

सर्वे क्र.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	नहर में आने वाली अर्जित भूमि का रकबा (हे. में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
236	0.310	0.070	निजी भूमि
238	0.320	0.020	–''–
239	0.230	0.070	–''–
337	0.550	0.160	–''–
237	0.100	0.050	–''–
221	0.520	0.120	–''–
218	0.620	0.190	–''–
205	0.870	0.210	–''–
206	0.700	0.090	
240	0.210	0.120	–''–
241	0.440	0.070	–''–
257	0.210	0.010	–''–
215 मि. 1	0.340	0.130	–''–
215 मि. 2	0.190	–	–''–
217	0.470	0.110	
216	0.300	0.020	–''–
211	0.420	0.010	–''–
183	1.300	0.050	–''–
184	0.600	0.500	–''–
209	1.030	0.200	–''–
212	0.840	0.260	–''–
174	1.930	0.010	–''–
189	0.460	0.240	
191	0.620	0.270	
193	0.910	0.170	
193/516	0.130	0.050	–''–
194	0.300	0.060	–''–

(1)	(2)	(3)	(4)
334	0.490	0.080	निजी भूमि
335/1	0.210	0.100	–''–
335/2	0.270	–	
336	0.480	0.080	–''–
338	1.090	0.020	–''–
		योग . . 3.54	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध रमौआ नहर की 2 आर माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 59-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—डबरा

(ग) ग्राम—गढ़ी, प.ह.नं. 61

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.744 हेक्टेयर.

ग्राम—गढ़ी, प.ह.नं. 61, तहसील-पिछौर, जिला—ग्वालियर

सिंध रमौआ नहर की 2-आर माइनर के निर्माण हेतु आने वाला निजी भूमि का विवरण

सर्वे क्र.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	नहर में आने वाली अर्जित भूमि का रकबा (हे. में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
78	2.404	0.302	निजी भूमि
79	1.473	0.135	–''–
80	0.376	0.021	–''–
81	0.397	0.021	–''–
82	1.693	0.021	निजी भूमि
89	0.042	0.010	
92	0.084	0.010	
88	1.097	0.125	–''–
90	0.355	0.115	–''–
93	0.324	0.084	–''–
96	0.157	0.052	–''–
95 मिन 1 क	0.198	0.084	–''–
123	0.543	0.042	–''–
119/मिन 2	1.024	0.210	–''–
120/मिन 1	0.627	0.157	–''–
121	0.209	0.052	
122	0.105	0.010	
119/मिन 1	0.523	–	–''–
120/मिन 2	0.418	–	
143	0.867	0.010	
436	0.042	0.021	–''–
437	0.084	0.031	
118	0.920	0.146	–''–
161	0.668	0.115	
159	0.397	0.010	–''–
164	0.084	0.010	–''–
166	0.951	0.125	–''–
168/1	0.512	0.115	
173	0.146	0.010	–''–
174	1.014	0.105	
175	1.014	0.125	
176	0.387	0.030	–''–
180	0.241	0.063	–''–
438	0.387	0.074	–''–
478	0.523	0.010	–''–
455/1	0.199	0.105	–''–
456/मिन 3	0.209	–	
456/2	0.700	–	–''–
456 मिन 1	0.418	0.125	–''–
456 मिन 2	0.209	–	–''–
168/2	0.021	–	–''–
163	0.585	0.063	–''–
		योग . . 2.744	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध रमौआ नहर की 2 आर माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 8 फरवरी 2012

प्र. क्र. 46-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—कुई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.902 हेक्टेयर.

ग्राम—कुई, तहसील—ग्वालियर, प.ह.नं. 70

हर्सी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना फेज-II (R.D. 71.38 कि.मी. से 102.40 कि.मी.) के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

सर्वे क्रमांक	सर्वे क्र. का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
176	0.220	0.100
177	0.410	0.250
180	1.130	0.260
181	0.220	0.110
110	0.530	0.190
120	0.550	0.210
121	0.360	0.020
126	0.160	0.030
167	0.450	0.260
578	0.100	0.030
579	0.080	0.070
580	0.020	0.020
581	0.030	0.030
586	0.410	0.250
452	0.220	0.210
453	0.450	0.150
291	0.350	0.010
461	0.350	0.210
483	1.350	0.020
484	0.45	0.310
486	0.29	0.050
487	0.74	0.310
488	0.11	0.030
505	0.69	0.260
507	0.23	0.060
519	0.19	0.010
520	0.28	0.200
521	0.67	0.040
522	0.39	0.220
536	0.26	0.020
538	0.53	0.270
559	0.25	0.140
556	0.26	0.040
560	0.24	0.080
561	0.31	0.100
543	0.76	0.040
539	0.50	0.010
108	0.67	0.010
111	0.13	0.052
112	0.27	0.130
113	0.25	0.050
114	0.220	0.110
127	0.100	0.080
163	0.620	0.310
164	0.320	0.020
168	0.320	0.110
170	0.980	0.010
175	0.630	0.240
179	0.340	0.170
236	0.730	0.110
237	0.850	0.330
238	0.250	0.120
239	0.470	0.010
241	0.410	0.200
292	0.340	0.150
293	0.210	0.090
451	0.180	0.040
460	0.320	0.030
462	0.230	0.120
463	0.190	0.100
464	0.490	0.160
465	0.870	0.310

(1)	(2)	(3)
466	0.170	0.050
468	0.770	0.180
562	0.200	0.030
571	0.080	0.080
572	0.100	0.060
574	0.320	0.020
577	0.420	0.100
582	0.310	0.030
585	0.470	0.160
544	0.020	0.020
535	0.260	0.010
545	0.300	0.080
558	0.260	0.180
570	0.390	0.080
569	0.330	0.020
90	0.420	0.030
91	0.280	0.010
104	0.630	0.030
119	0.150	0.050
	योग . .	8.902

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की अरोंली शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 52-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—भटपुरासानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.79 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (है. में)
(1)	(2)	(3)
84	0.030	0.010
85	0.270	0.14
116	0.160	0.140
82	0.240	0.17
225	0.630	0.24
87	0.200	0.12
88	0.070	0.01
201	0.340	0.07
228	0.340	0.07
329	1.200	0.01
115	0.170	0.07
126	1.660	0.27
135	1.330	0.17
261	0.240	0.05
269	0.930	0.18
288	0.250	0.01
227	0.100	0.07
257	0.380	0.02
268	0.710	0.15
262	0.230	0.08
43	0.310	0.11
284	0.290	0.09
196	0.550	0.23
198	0.370	0.16
192	1.050	0.18
194	0.400	0.35
200	0.620	0.27
332	0.200	0.16
202	0.330	0.17
217	0.830	0.04

(1)	(2)	(3)
218	0.630	0.13
224	0.510	0.11
226	0.740	0.26
229	0.150	0.06
263	0.340	0.12
286	0.250	0.01
60	0.500	0.02
65	2.830	0.65
58	0.940	0.38
57	0.280	0.01
56	1.380	0.30
42	0.310	0.17
41	0.400	0.18
68	2.800	0.60
67	2.480	0.05
216	0.520	0.14
250	0.410	0.14
251	0.500	0.23
253	0.290	0.05
230	0.160	0.01
256	0.380	0.05
266	0.600	0.12
267	0.720	0.21
285	0.240	0.03
289	0.290	0.29
253	1.070	0.14
254	0.380	0.04
264	2.350	0.62
290	0.370	0.03
383	0.920	0.22
384	1.370	0.24
294	0.160	0.05
292	1.740	0.48
295	0.200	0.13
296	0.500	0.05
40	2.690	0.25
255	0.380	0.01
282	0.770	0.12
143	3.520	0.23
537/42	0.280	0.03
	योग . .	10.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुर शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 6 फरवरी 2012

पत्र क्र. भू-अर्जन-तेंदूखेड़ा-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—जबेरा
(ग) ग्राम—छोटी कटंगी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.95 हेक्टेयर.

अर्जित की जा रही भूमि की सूची

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
10	0.50
07	0.80
08	0.01
13/1	0.15
13/2	0.10
09	0.06

(1)	(2)
21	0.15
15	0.04
50	0.14
योग :	1.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—छोटी कटंगी जलाशय के बांध एवं नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 6 फरवरी 2012

क्र.-1225-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—सरदारपुर
(ग) ग्राम—राजोद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.190 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक (1)	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
1479/2	0.042
1479/1	0.021
1480	0.069
1486	0.031
1954	0.051
1493	0.294
1495/2	0.128
1494/1	0.026
1496/1	0.010
1497	0.010
1498	0.008
1532	0.075
974/2	0.151
1533	0.037
1501	0.005
1512	0.056
1505/1/1	0.016
1510	0.042
1511	0.157
1505/1/2	0.015
1513	0.009
1514	0.008
1508/1	0.011
1508/2	0.010
1509	0.021
1675	0.031
926/1	0.026
927/1	0.065
926/2	0.026
927/2	0.006
923/2	0.007
925	0.055
924	0.052
922/2	0.006
922/3	0.024
921/3	0.022
921/4	0.040
921/5	0.080
920	0.160
949	0.010
950/3	0.088
950/4	0.070
959/1	0.054
960/1	0.011
959/2	0.089

(1)	(2)
960/2	0.011
975/2	0.015
983/2	0.007
957	0.010
973	0.021
974/1	0.111
900/2	0.265
1013/2	0.021
900/3/1	0.042
900/3/2	0.032
900/3/3	0.025
900/4	0.028
1016/1	0.059
1016/2	0.073
887/1/1/1	0.602
892	0.085
893	0.042
1014	0.063
898/1	0.090
898/2	0.040
894/1	0.042
894/2	0.032
891	0.042
1022/2	0.044
886	0.065
1013/1	0.003
900/1	0.001
895	0.094
योग :	4.190

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बदनावर-सरदारपुर राजमार्ग क्रमांक 35 पर राजोद बायपास निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदारपुर, जिला धार तथा संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लि. इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 6 फरवरी 2012

क्र.-246-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—झिरन्या
(ग) ग्राम—पुतला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.970 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
128/2	0.185
128/3	0.902
129/1	1.578
129/2	1.214
132/2/1	0.091
योग :	3.970

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—रतनपुर तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं स्पील चेनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 9 फरवरी 2012

क्र. 1081-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिंदवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—सिमरियां कलां, प. ह.नं.-28, ब.नं.-284, रा.नि. मंडल-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—16.781 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
399/1, 398/1, 409/3	0.200
398/2, 398/3, 399/2	0.910
409/2	0.729
393/1	2.280
393/2	0.350
393/3	3.250
392	0.603
390	0.032
4/1	4.536
4/2,6	1.030
8/1, 12/1	0.740
8/2, 12/2	0.330
8/3, 12/3	0.320
8/4, 12/4	0.750
8/5, 12/5	0.721
योग . .	16.781

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सीताझिर जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा), जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग-छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग-छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 1082-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिंदवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—सीताझिर, प.ह.नं.-49, ब.नं.-292, रा.नि. मंडल-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—31.354 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
164/4, 167	3.420
165	1.065
164/2, 166	0.480
157, 158, 159, 161	0.086
169	2.278
174/2, 3,4,175	3.758
174/5, 186, 187, 188	1.919

(1)	(2)
176	2.322
170, 171/5	0.368
199	0.335
172, 201, 202	1.651
205	0.101
173, 189	2.534
179	0.417
181/1	0.607
182	0.227
181/2	1.300
207	0.630
181/3	1.387
206	0.429
209/2, 212/2	0.062
181/4	1.482
183	0.085
184, 185	1.154
200	0.200
203	0.247
204	0.304
214/1	0.253
214/2	0.253
190/1, 191/1, 198/1	0.400
190/2, 191/2, 198/2	0.200
190/3, 191/3, 198/3	0.100
137/1क	0.162
137/1ख	0.129
137/1घ 1, 137/6क	0.048
137/1घ 2, 137/5ख	0.048
137/1ग 137/2	0.027
137/1घ 3, 137/6ख	0.027
49/1, 137/4, 5	0.061
49/3, 137/6, 7	0.061
136/1	0.021
136/2	0.012
73/1, 73/2	0.012
36/1, 2, 3, 4, 5, 52/1, 53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1	0.282
36/7, 52/2, 53/2, 54/2, 55/2, 56/2, 57/2	0.156
36/6	0.144
34	0.016
35/2	0.026
35/1	0.014
35/3	0.014
135/1	0.006
31/1	0.014
135/2	0.006
31/2	0.014
योग . .	31.354

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सीताझिर जलाशय योजना के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा), जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग-छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग-छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 1083-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिंदवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—हरदुआमाल, प.ह.नं.-29, ब.नं.-303, रा.नि. मंडल-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—36.799 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
92/2, 93/2	0.200
196/1	0.093
193/1, 217/1	0.350
94	0.336
95/2, 97/1	0.250
95/1	1.300
95/3, 97/2	0.950
95/4, 97/3	0.550
95/5, 97/4	1.011
98/1, 99/1, 100/1	1.253
98/5, 99/2, 100/2	1.253
98/2क, 3 क, 191/2क, 6 क, 219/2क, 220/1, 221/2क, 3क, 221/4क, 5क	1.728
98/2ख, 3 ख, 191/2 ख, 6 ख, 219/2 ख, 220/2, 221/2 ख, 3 ख, 221/4 ख, 5 ख	1.619
98/2 ग, 3 ग, 191/2 ग, 6 ग, 219/2 ग, 220/3, 221/2 ग, 3 ग, 221/4 ग, 5 ग	1.619
101/1, 103/7, 103/9, 190/1	1.150
101/2,103/6,103/11,190/2	0.700
103/4, 103/8	0.818
103/5, 103/10, 103/12	1.400
186/2, 223/2	0.150
191/7, 219/3, 221/6	1.618
191/11, 219/6 22/7	0.930
192/1	0.350
191/12, 219/7, 221/8	0.932
192/2	0.300
191/5	0.050
191/8, 219/1	1.785
191/10, 219/5	0.809
193/3, 217/3	0.050
196/3	0.093
195/2	0.050
196/2	0.093
196/4	0.093
200/2, 201/2, 202/2, 203/2	0.350
205	1.700
207, 208	4.000
210, 212	2.120
194/2, 195/3	0.750
214, 215	0.279
218, 219/4	0.700
105/1, 106/2	0.250
78/1 च	0.370
105/2, 106/3	0.380
105/3	0.650
78/1 ज	0.040
78/1 ख, 78/1 घ, 78/2	0.460
81/1	0.100
79/1, 88/1, 103/2, 3, 104/1	0.120
81/2	0.064
79/2, 88/2, 103/13, 104/2	0.040
86/1	0.030
86/2, 90/1	0.060
84	0.150
90/2, 92/1, 93/1	0.070
65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 70/1	0.038
65/2, 66/2, 67/2, 68/2, 69/2, 70/2	0.048
71	0.067
72/1	0.080
योग . .	36.799

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सीताझिर जलाशय योजना के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा), जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग-छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग-छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 2 फरवरी 2012

क्र. 159-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012 (भाग-ए).—नव नियुक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में कार्यशाला "Foundation Course Training Programme" (First Phase), जो दिनांक 21 फरवरी से 3 मार्च 2012 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 21 फरवरी 2012 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 21 फरवरी 2012 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवें तथा महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रशिक्षण में उपस्थित होते समय, नियुक्ति उपरांत उनके द्वारा संपादित कार्य की विस्तृत सारगर्भित जानकारी (Detailed Synopsis of the Work) अपने साथ अवश्य लावें.

5. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं/विषयों पर चर्चा चाहते हों, को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं. 0761-2626945 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें.

6. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

7. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक-1 के मुख्य द्वारा पर वाहन की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी, जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

8. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 1 फरवरी 2012

क्र. D-488-दो-2-13-2010.—श्री अवधेश कुमार गुप्ता, उप संचालक, जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक

15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 24 मई 2009 से 23 मई 2011 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 1 फरवरी 2012

क्र. C-1146-दो-2-68-2010.—श्री एन. डी. पटले, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-1148-दो-2-80-06.—श्री ए. एच. एस. पटेल, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 31 दिसम्बर 2011 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 जून 2010 से 31 दिसम्बर 2011 तक उन्नीस माह की अवधि के लिये चौबीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. C-1150-दो-3-420-80-भाग दस.—श्रीमती सरोज महेन्द्र जैन, सेवा निवृत्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, इन्दौर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2011 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 187 दिवस (एक सौ सतासी दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्सीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 897-इक्कीस-ब (एक)07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1.	श्रीमती सरोज महेन्द्र जैन, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, इन्दौर का नियुक्ति दिनांक.	:	11-8-1978
2.	सेवानिवृत्ति दिनांक	:	30-11-2011
3.	नियुक्ति दिनांक 11-8-1978 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.	:	8 वर्ष 7 माह
4.	दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	24 वर्ष 8 माह
5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	8×15=120 दिन
6.	कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	24=12×15=180 दिन.
	नोट.—खण्ड माह की अवधि यदि एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए	:	1×7=7 दिन
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	307 दिन
8.	**घटाईये:**—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	:	120 दिन
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	187 दिन

(सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2011 को शेष अर्जित अवकाश 240+12 दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897-इक्कीस-ब (एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. C-1152-दो-3-420-80-भाग दस.—श्री आर. के. गोस्वामी, सेवानिवृत्त (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2011 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 145 दिवस (एक सौ पैंतालीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के

लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्सीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897-इक्कीस-ब (एक)07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1.	श्री आर. के. गोस्वामी, सेवानिवृत्त, (जिला एवं सत्र) प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर का नियुक्ति दिनांक.	:	7-8-1978
2.	सेवानिवृत्ति दिनांक	:	30-11-2011
3.	नियुक्ति दिनांक 7-8-1978 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.	:	8 वर्ष 7 माह
4.	दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	24 वर्ष 8 माह
5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	8×15=120 दिन
6.	कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	24=12×15=180 दिन.
	नोट.—खण्ड माह की अवधि यदि एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए	:	1×7=7 दिन
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	307 दिन
8.	**घटाईये:**—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	:	162 दिन
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	145 दिन (सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2011 को शेष अर्जित अवकाश 183 दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897-इक्कीस-ब (एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. D-491-दो-2-11-2010—श्री अभिनन्दन कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-493-दो-3-420-80-भाग दस.—श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2011 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 150 दिवस (एक सौ पच्चास दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 897-इक्कीस-ब (एक)07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1.	श्री हरिश्चन्द्र शर्मा सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड का नियुक्ति दिनांक	:	30-11-1981
2.	सेवानिवृत्ति दिनांक	:	28-2-2011
3.	नियुक्ति दिनांक 30-11-1981 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.	:	5 वर्ष 3 माह
4.	दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	23 वर्ष 11 माह

5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	5×15=75 दिन
6.	कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	24=12×15=180 दिन.
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	255 दिन
8.	**घटाईये:**—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	:	105 दिन
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	150 दिन

(सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2011 को शेष अर्जित अवकाश 240 दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897-इक्कीस-ब (एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. D-495-दो-2-74-2006.—सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-497-दो-2-74-2006.—सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से 31 अक्टूबर 2009 तक 2 वर्ष की अवधि के लिये 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 25 जनवरी 2012

क्र. B-304-दो-3-102-2000.—श्री बी. डी. राठी, प्रिंसीपल, रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 9 जनवरी से 13 जनवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 05 दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 08 जनवरी 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 जनवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. डी. राठी, प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. डी. राठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसीपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-408-दो-3-16-2007.—श्री व्ही. बी. सिंह, बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2011 तक, छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1- से 2 जनवरी 2012 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. बी. सिंह, बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही.बी. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 31 जनवरी 2012

क्र. 36-स्था. सैट-2012.—श्रीमती एम. जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 23 से 27 जनवरी 2012 तक, कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाशकाल में श्रीमती जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होगें जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला को अस्थायी रूप से, निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट) खंडपीठ इंदौर के पद पर आगामी आदेश तक, पुनः पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जिल्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो निज सचिव के पद पर कार्य करतीं रहतीं. चूंकि अवकाश पर गयीं है. अतः अवधि दिनांक 23 जनवरी 2012 से 27 जनवरी 2012 को मूलभूत नियम 26(ब) (2) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 24 जनवरी, 2012

क्र. 107-गोपनीय-2012-दो-3-250-57 (भाग-31).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा-3(बी)6-2011-इक्कीस-ब(एक), (मेरिट क्रमांक), दिनांक 7 जनवरी, 2012 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री विकाश शुक्ला	दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, दतिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2	श्री रोहित श्रीवास्तव	नरसिंहपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, नरसिंहपुर के न्यायालय के पंचम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्र. 161–गोपनीय–2012–दो–3–250–57 (भाग–31).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा–3(बी)6–2011–इक्कीस–ब(एक), (मेरिट क्रमांक), दिनांक 30 जनवरी, 2012 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग–2 (प्रवेश स्तर) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुश्री सोनाली पस्तारिया	इन्दौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, इंदौर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2	श्री अम्बुज श्रीवास्तव	रायसेन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, रायसेन के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
3	सुश्री सारिका बावरे	देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, देवास के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
4	श्री नीरज पवैया	शाजापुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, शाजापुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
5	श्री राहुल वर्मा	इंदौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, इंदौर के न्यायालय के सप्तम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
6	श्री पुष्पराज सिंह उईके	खण्डवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, खण्डवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

राज्य शासन के आदेश

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2012

क्रमांक एफ 10–1/2012/दो–ए(3):: नागरिकता अधिनियम 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य, जिला, तहसील, नगर एवं ग्राम/वार्ड स्तर पर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य हेतु निम्नानुसार पदाधिकारियों को उनके समक्ष दर्शायें पद पर नियुक्त करता है।

1. राज्य समन्वयक – सचिव (गृह)

2. जिला रजिस्ट्रार (जि. रजि.) :–
   - जिला कलेक्टर
   - आयुक्त, नगर निगम (नगर निगम क्षेत्र हेतु)

3. उप जिला रजिस्ट्रार (उप जि. रजि.) –
   - **तहसीलदार** – अपनी संबंधित तहसील की सीमा (जिनमें यदि कोई जनगणना नगर एवं बाह्यवृद्धि क्षेत्र हों तो उनके सहित परन्तु सांविधिक नगर /नगरों को छोड़कर) के अन्तर्गत उप जिला रजिस्ट्रार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
   - **संबंधित नगर निगम के आयुक्त द्वारा नामांकित उपायुक्त** – उनको आवंटित क्षेत्र (बाह्यवृद्धि क्षेत्र यदि कोई हों, को छोड़कर) के अन्तर्गत उप जिला रजिस्ट्रार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
   - **मुख्य नगर पालिका अधिकारी** – उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के नगर यथा नगर पालिका/नगर पंचायत (बाह्यवृद्धि क्षेत्र यदि कोई हों तो को छोड़कर) हेतु उप–जिला रजिस्ट्रार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।
   - **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** – छावनी बोर्ड के मामले में संबंधित छावनी बोर्ड के मुख्य कार्य पालन अधिकारी उप जिला रजिस्ट्रार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

4. स्थानीय रजिस्ट्रार –
   - **पटवारी** – तहसीलदार द्वारा आवंटित उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों, जनगणना नगरों एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्रों, यदि कोई हों तो में स्थानीय रजिस्ट्रार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
   - **राजस्व निरीक्षक/स्वास्थ्य निरीक्षक/सफाई निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक/कर संग्राहक** – सांविधिक नगरों यथा नगर निगमों, नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों, छावनी बोर्ड के अन्तर्गत वार्ड स्तर पर अपने संबंधित वार्ड के अन्तर्गत स्थानीय रजिस्ट्रार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। सांविधिक नगरों के उप–जिला रजिस्ट्रार द्वारा उपरोक्त उल्लेखित उपयुक्त उपलब्ध अधिकारियों में से सांविधिक नगरों के विभिन्न वार्डों में स्थानीय रजिस्ट्रारों की नियुक्ति की जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में उपयुक्त आदेश जारी किए जाएंगे।

क्रमांक एफ 10–1/2012/दो–ए(3) :: नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 एवं 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्र में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इसके प्रथम चरण में क्षेत्रीय कार्य के अन्तर्गत आंकड़ों के एकत्रीकरण का कार्य मई–जून, 2010 में मध्यप्रदेश राज्य में पूर्ण हो चुका है, द्वितीय चरण यथा बायोमैट्रिक, फोटोग्राफी तथा क्.वाय.आर. आंकड़ों को एकत्रीकरण करने का फील्ड कार्य मध्यप्रदेश राज्य में प्रारभ किया जा रहा हैं।

2/ इस परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन एतद् द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003, के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिए नीचे अनुसूची के कालम 2 में निर्दिष्ट अधिकारियों को इस अनुसूची के कालम 4 में दर्शाए गए प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने, उसमें आवश्यक संशोधन करने एवं पर्यवेक्षण हेतु कालम 3 के अनुसार समक्ष दर्शायें गये पदनाम के रूप में नियुक्त करता है :–

क्रम संख्या	पदनाम	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर हेतु पदनाम	प्रशासनिक क्षेत्र
1	2	3	4
1	सचिव (गृह) मध्यप्रदेश शासन	राज्य समन्वयक	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य
2	जिला कलेक्टर	जिला रजिस्ट्रार	संबंधित जिला
3	आयुक्त,नगर निगम	जिला रजिस्ट्रार	संबंधित नगर निगम क्षेत्राधिकार (बाह्य वृद्धि क्षेत्र को छोड़कर)
4	उपायुक्त,नगर निगम	उप जिला रजिस्ट्रार	संबंधित नगर निगम क्षेत्राधिकार (बाह्य वृद्धि क्षेत्र को छोड़कर) के अन्तर्गत, आयुक्त,नगर निगम द्वारा आवंटित क्षेत्र
5	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार	संबंधित तहसील का ग्रामीण क्षेत्र तथा तहसील के अन्तर्गत जनगणना नगर एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र, यदि कोई हो तो सहित परन्तु सांविधिक नगर/नगरों को छोड़कर
6	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	उप जिला रजिस्ट्रार	संबंधित नगर पालिका/नगर पंचायत (बाह्य वृद्धि क्षेत्र को छोड़कर)
7	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छावनी बोर्ड	उप जिला रजिस्ट्रार	संबंधित छावनी बोर्ड
8	पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित ग्राम तथा उनसे संबंधित जनगणना नगर एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र यदि कोई हों तो। (तहसीलदार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे)

9	राजस्व निरीक्षक / स्वास्थ्य निरीक्षक / सफाई निरीक्षक / सहायक राजस्व निरीक्षक / कर संग्राहक	स्थानीय रजिस्ट्रार	सांविधिक नगरों के वार्डों (नगर निगमों / नगर पालिकाओं / नगर पंचायतों / छावनी बोर्ड) में संबंधित उप जिला रजिस्ट्रार के द्वारा नियुक्ति आदेश में उल्लेखित क्षेत्र।

राष्टीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत विभिन्न स्तर के रजिस्ट्रारों तथा आम नागरिकों के कर्त्तव्य एवं जिम्मेदारियां

राज्य समन्वयक

क) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत बायोमेट्रिक, फोटोग्राफ एवं के.वाय.आर. जानकारी एकत्रित करने हेतु केन्द्र सरकार की मंशा को राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करना।

ख) राज्य स्तर पर विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों / कार्यकर्ताओं (रजिस्ट्रारों) की नियुक्ति सुनिश्चित करना।

ग) राज्य / जिला स्तर पर जानकारी एकत्रित करने हेतु नियुक्त विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करना।

घ) व्यय पर वित्तीय नियंत्रण रखना।

ङ) राज्य के अन्दर जनगणना कार्य निदेशालय, मध्यप्रदेश के साथ प्रचार–प्रसार में समन्वय स्थापित करना।

च) राज्य स्तर पर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एवं उससे संबंधित क्रियाकलापों हेतु समन्वय स्थापित करना।

छ) राज्य स्तर पर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य की पूर्णता समय पर सुनिश्चित करना।

जिला रजिस्ट्रार
(जिले के अन्तर्गत)

क) जिला स्तर पर बायोमेट्रिक, फोटोग्राफ एवं के.वाय.आर. जानकारी एकत्रित करने हेतु सभी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति।

ख) जिला स्तर पर विभिन्न चार्ज क्षेत्रों में फील्ड कार्य यथा बायोमेट्रिक, फोटोग्राफ तथा के. वाय.आर. जानकारी एकत्रित करने हेतु उपयुक्त सामग्री का वितरण सुनिश्चित करना।

ग) जिला स्तर पर राष्ट्रीय जनसख्या रजिस्टर के अन्तर्गत बायोमेट्रिक, फोटोग्राफ एवं के.वाय. आर. जानकारी एकत्रित करने संबंधी कार्य का समुचित प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना।

घ) समय–समय पर फील्ड में आंकड़ो का एकत्रीकरण कार्य एवं बायोमेट्रिक केम्पो का निरीक्षण करना।

ङ) राष्ट्रीय जनसख्या रजिस्टर के अन्तर्गत बायोमेट्रिक, फोटोग्राफ एवं के.वाय.आर. जानकारी एकत्रित करने संबंधी सम्पूर्ण कवरेज तथा इसका प्रमाणन सुनिश्चित करना।

च) राष्ट्रीय जनसख्या रजिस्टर के अन्तर्गत व्यक्तिगत तौर पर लोगों द्वारा प्रस्तुत किये गये दावों / आपत्तियों का जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार निराकरण करना।

छ) समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार आंकड़ो का अधिप्रमाणन।

ज) व्यय पर वित्तीय नियंत्रण रखना।

झ) जिला स्तर पर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से संबंधित विभिन्न कार्यों का समन्वयन।

ञ) समय–समय पर दिये गये कोई अन्य कार्य।

जिला रजिस्ट्रार
(नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत)

क) नगर निगम क्षेत्र स्तर पर बायोमेट्रिक, फोटोग्राफ एवं के.वाय.आर. जानकारी एकत्रित करने हेतु सभी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति।

ख) नगर निगम क्षेत्र स्तर पर फील्ड कार्य यथा बायोमेट्रिक, फोटोग्राफ तथा के.वाय.आर. जानकारी एकत्रित करने हेतु उपयुक्त सामग्री का वितरण सुनिश्चित करना।

ग) नगर निगम क्षेत्राधिकार में राष्ट्रीय जनसख्या रजिस्टर के अन्तर्गत बायोमेट्रिक, फोटोग्राफ एवं के.वाय.आर. जानकारी एकत्रित करने का संबंधी कार्य का समुचित प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना।

घ) नगर निगम क्षेत्राधिकार में समय–समय पर फील्ड में आंकड़ो का एकत्रीकरण कार्य एवं बायोमेट्रिक केम्पो का निरीक्षण करना।

ङ) नगर निगम क्षेत्राधिकार में राष्ट्रीय जनसख्या रजिस्टर के अन्तर्गत बायोमेट्रिक, फोटोग्राफ एवं के.वाय.आर. जानकारी एकत्रित करने संबंधी सम्पूर्ण कवरेज तथा इसका प्रमाणन सुनिश्चित करना।

च) नगर निगम क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत राष्ट्रीय जनसख्या रजिस्टर के अन्तर्गत व्यक्तिगत तौर पर लोगों द्वारा प्रस्तुत किये गये दावों/आपत्तियों का जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार निराकरण करना।

छ) समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार आंकड़ो का अधिप्रमाणन।

ज) व्यय पर वित्तीय नियंत्रण रखना।

झ) नगर निगम क्षेत्राधिकार में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से संबंधित विभिन्न कार्यो का समन्वयन।

ञ) समय–समय पर दिये गये कोई अन्य कार्य।

<u>उप–जिला रजिस्ट्रार</u>

क) संबंधित उप–जिला स्तर (तहसील/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/छावनी बोर्ड) पर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अर्न्तगत बायोमेट्रिक, फोटोग्राफ तथा के.वाय.आर. जानकारी एकत्रित करने हेतु स्थानीय रजिस्ट्रार एवं अन्य कार्यकताओं की नियुक्ति सुनिश्चित करना।

ख) संबंधित उप जिला स्तर पर फील्ड कार्य यथा बायोमेट्रिक, फोटोग्राफ तथा के.वाय.आर. जानकारी एकत्रित करने हेतु उपयुक्त सामग्री का वितरण सुनिश्चित करना।

ग) संबंधित उप जिला स्तर पर राष्ट्रीय जनसख्या रजिस्टर के अन्तर्गत बायोमेट्रिक, फोटोग्राफ एवं के.वाय.आर. जानकारी एकत्रित करने संबंधी कार्य का समुचित प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना।

घ) संबंधित उप जिला स्तर पर समय–समय पर फील्ड में आंकड़ो का एकत्रीकरण कार्य एवं बायोमेट्रिक केम्पों का निरीक्षण करना।

ङ) संबंधित उप जिला स्तर पर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर संबंधी कार्य निश्चित समय पर प्रारम्भ कर निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना।

च) संबंधित उप जिला स्तर पर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर संबंधी आंकड़ों के सही–सही एवं गुणवत्तापूर्वक एकत्रीकरण कार्य को सुनिश्चित करना।

छ) संबंधित उप जिला स्तर पर राष्ट्रीय जनसख्या रजिस्टर के अन्तर्गत व्यक्तिगत तौर पर लोगों द्वारा प्रस्तुत किये गये दावों/आपत्तियों का, जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार निराकरण करना।

ज) संबंधित उप जिला स्तर पर राष्ट्रीय जनसख्या रजिस्टर के अन्तर्गत सम्पूर्ण कवरेज तथा अधिप्रमाणन सुनिश्चित करना।

झ) संबंधित उप जिला स्तर पर राष्ट्रीय जनसख्या रजिस्टर के अन्तर्गत समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार आंकड़ो का अधिप्रमाणन।

ञ) व्यय पर वित्तीय नियंत्रण रखना।

त्र) संबंधित उप जिला स्तर पर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर संबंधी कार्यों का समन्वय स्थापित करना।

ऊ) समय–समय पर दिये गये कोई अन्य कार्य।

स्थानीय रजिस्ट्रार

क) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किये जाने के लिए मुनादी, माईक एनाउंसमेंट, पोस्टर पम्पलेट, सार्वजनिक सूचना प्रसारण आदि के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों (ग्राम/जनगणना नगर/बाहृयवृद्धि क्षेत्र) तथा नगरीय क्षेत्रों (सांवधिक नगर के वार्ड) में प्रचार/जागरूकता अभियानों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

ख) यह सुनिश्चित करना कि उनके क्षेत्राधिकार के पूरे क्षेत्र में पूर्ण कवरेज की गई है और कोई भी परिवार/व्यक्ति छूटा नहीं है।

ग) ग्रामीण क्षेत्रों में उनके क्षेत्राधिकार के ग्राम तथा नगरीय क्षेत्रों में उनके क्षेत्राधिकार के वार्ड क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर 'सामान्य निवासियों' की सूची प्रदर्शित करना।

घ) राष्ट्रीय जनसख्या रजिस्टर के अन्तर्गत जारी की गयी "सामान्य निवासियों" की सूची के आधार पर व्यक्तिगत तौर पर लोगों द्वारा प्रस्तुत किये गये दावों/आपत्तियों को सूची में सुधार हेतु चिन्हित करना और ऐसे दावों/आपत्तियों को उप–जिला रजिस्ट्रार के यहां प्रस्तुत करना।

ड.) समय–समय पर जारी किये जाने वाले अनुदेशों के अनुसार 'सामान्य निवासियों' के संबंध में एकत्रित आंकड़ो का अधिप्रमाणन।

च) समय–समय पर दिये गये कोई अन्य कार्य।

आम जनता

क. प्रगणक को जानकारी देना।

ख. निर्धारित तिथि तथा समय पर बायोमेट्रिक केम्प में उपस्थित होना।

ग. नियम 7 के अन्तर्गत घर के मुखिया एवं व्यक्ति को सूचनादाता के रूप में कार्य करना।

(1) हर भारतीय नागरिक के लिए नियम 4 के अन्तर्गत यह अनिवार्य होगा कि वे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की तैयारी में अधिकारियों की सहायता करे एवं प्रारंभिक दौर में अपने आपको भारतीय नागरिकों के स्थानीय रजिस्टर में पंजीकृत करवायें।

(2) प्रत्येक परिवार के मुखिया का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उस परिवार के जिसका कि वह मुखिया है के सभी सदस्यों के नाम, परिवार में सदस्यों की संख्या और नियम 3 के उप नियम (3) में उल्लेखित अन्य ब्यौरों के अन्तर्गत जानकारी दर्ज करायें।

(3) प्रत्येक नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि नागरिकता पंजीकरण के लिएं नियुक्त स्थानीय रजिस्ट्रार के पास अपने आपको एक बार पंजीकृत करवायें एवं संबंधित प्राधिकारी को सही–सही व्यक्तिगत जानकारी प्रदाय करें।

(4) आश्रितों, ऐसे अवयस्क, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है अथवा, जो निःशक्त है, की दशा में इस नियम के अन्तर्गत जानकारियां दर्ज कराने का उत्तरदायित्व उस परिवार के मुखिया का होगा।

संस्थागत संस्थानों जैसे अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम एवं मानसिक रोगियों के संस्थान के निवासियों की आवश्यक जानकारियों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित संस्थानों के मुखिया की होगी।

घ. "अपना निवास स्थान पहचानियें" (KYR) फार्मों को भरना।

ड. बायोमेट्रिक केम्पों में सख्त अनुशासन बनाये रखना।

च. "सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर" (LRUR) के प्रकाशन के पश्चात व्यक्तिगत जानकारियों की स्वयं जांच करना तथा इसमें किसी तरह की विसंगति पाये जाने पर उसे स्थानीय रजिस्ट्रार की जानकारी में लाना।

No. F 10-1/2012/दो-A(3) :: The State Government hereby appoints the following Officers at State, District, Tahsil, Town and Village/Ward level on post shown with their designation for preparation of National Population Reigster under the Citizenship Act, 1955 read with rule 5,16 and 18 of Citizenship (Registration of Citizens and issue of National Identity Cards) Rules, 2003.

1. **State Co-ordinator** - **Secretary (Home)**
2. **District Registrar (DR)** :-
   - **District Collector**
   - **Commissioner, Municipal Corporation** (for Municipal Corporation Area)
3. **Sub-District Registrar (SDR)**
   - **Tahsildar** :- shall function as Sub-District Registrar in the case of areas within tahsil including Census Town(s) and Out Growth(s), if any area within their jurisdictions but, excluding Statutory Town(s).
   - **Deputy Commissioner(s) of Municipal Corporation as nominated by the Commissioner, Municipal Corporation:** - shall function as Sub-District Registrar within their jurisdiction allotted by the Commissioner, Municipal Corporation, but excluding Out Growth(s) areas, if any.
   - **Chief Municipal Officer** :- for statutory towns such as Municipalities, Nagar Panchayats has to discharge the functions as Sub-District Registrar within their respective jurisdiction but, excluding Out Growth(s) areas, if any.
   - **Chief Executive Officer**: - for the Cantonment Boards has to discharge the functions as Sub-District Registrar within their respective jurisdiction.
4. **Local Registrar (LR)** -
   - **Patwari** :- in rural Villages and Census Towns/Out Growths areas if any in their respective areas has to function as Local Registrar appointed by the Tahsildar
   - **Revenue Inspector / Health Inspector / Senitary Inspector /Assistant Revenue Inspector / Tax Collector:** - in Wards of Statutory towns (Municipal Corporations/Municipalities/Nagar Panchayats/ Cantonment Boards) shall discharge the functions of Local Registrar within their jurisdiction. The deployment of Local Registrar to various wards of the Statutory Town from among the available eligible officials will be done by the Sub-District Registrar in charge of the Statutory Town, who will issue suitable orders in this regard.

No. F 10-1/2012/दो-A(3) In exercise of the powers conferred by section 18 of the Citizen Act 1955 read with rule 3&4 of the Citizenship Rules, 2003 (Registration of the Citizens and issue of National Identity Cards) the Central Government have decided to prepare the National Population Register in the country, the Ist phase of which is, field work for data collection was over in Madhya Pradesh during May-June 2010, the IInd phase operations i.e. Biometric and Collection of KYR data fields will start in the State of Madhya Pradesh.

In this context, the State Govt. hereby appoints the officers under the Citizenship Act, 1955 and Citizenship (Registration of the Citizens and issue of National Identity Cards) Rules 2003 for the purpose of preparation of the National Population Register (NPR), as per rules 5, 16 and 18 mentioned in column (2) of the schedule below on the posts shown with their designation for preparation of National Population Register with NPR designations mentioned in column (3) to take, or aid in, or supervise the NPR Operations within the administrative area specified against each of them in column (4) of the said schedule.

Sl. No.	Designation	NPR Designation	Administrative Area
1	2	3	4
1	Secretary (Home), Government of M.P.	State Co-ordinator	State of Madhya Pradesh
2	District Collector	District Registrar	Respective District

1	2	3	4
3	Commissioner, Municipal Corporation	District Registrar	Respective Municipal Corporation jurisdiction (excluding out growth areas)
4	Deputy Commissioner, Municipal Corporation	Sub-District Registrar	Respective Municipal Corporation area allotted by the Commissioner, Municipal Corporation
5	Tahsildar	Sub-District Registrar	Respective Tahsil including Census Town(s) & Out Growth(s) area if any, but excluding Statutory Town(s)
6	Chief Municipal Officer	Sub-District Registrar	Respective Municipality /Nagar Panchayat (excluding Out Growth areas, if any)
7	Executive Officer of Cantonment Board	Sub-District Registrar	Respective Cantonment Board
8	Patwari	Local Registrar	Respective Village's and its related Census Town(s) and Out Growth(s) areas, if any (deployed by the Tahsildar).
9	Revenue Inspector/ Health Inspector/Sanitary Inspector/Asstt. Revenue Inspector/ Tax Collector	Local Registrar	In Wards of Statutory Towns (MunicipalCorporations/Municipalities /Cantonment Board / Nagar Panchayat) as the area allotted by the Sub -District Registrar concerned in their appointment order.

Duties and responsibilities of Registrars at various levels and General Public in connection with NPR.

State Co-ordinator

a) To notify the Central Govt. intentions for collection of Biometric, Photograph and KYR+ information for the preparation of National Population Register in the state gazette.

b) Ensure the appointments of different types of all functionaries at the state level.

c) Co-ordination of all functionaries for collection of information at the state/distriet level.

d) Exercising financial control over expendituxre.

e) Co-ordination of publicity campaigning with Directorate of Census Operations within the State.

f) Co-ordination at state level for National Population Register and its related all activities.

g) Ensuring timely completion of NPR work at the State level.

District Registrar
(Within District)

a) Appointment of all functionaries for collection of Biometric, Photograph and KYR+ information at the district level.

b) Distribution of suitable materials for collection of Biometric, Photograph and KYR+ information for the field work in the different charge areas at the district level

c) Ensuring proper publicity for collection of Biometric, Photograph and KYR+ information for the National Population Register at the district level.

d) Undertaking inspection of data collection and biometric camp's from time to time.

e) Ensuring and certifying complete coverage of Biometric, Photograph and KYR+ information for National Popuation Register at the district level.

f) Disposing claims submitted by the individuals under the National Population Register as per the rules and instructions issued from time to time.

g) Authentication of the data as per the rules and instructions issued from time to time.

h) Exercising financial control over expenditure.

i) Co-ordinating NPR work at the district level.

j) Any other task assigned from time to time.

District Registrar
(Within Municipal Corporations)

a) Appointment of all functionaries for collection of Biometric, Photograph and KYR+ information at the Municipal Corporations jurisdiction.

b) Distribution of suitable materials for collection of Biometric, Photograph and KYR+ information for the field work at the Municipal Corportion jurisdiction.

c) Ensuring proper publicity for collection of Biometric, Photograph and KYR+ information for the National Population Register at the Municipal Corporation jurisdiction.

d) Undertaking inspection of data collection and biometric camps from time to time within Municipal Corporation jurisdiction.

e) Ensuring and certifying complete coverage of Biometric, Photograph and KYR+ information for National Popuation Register at the Municipal Corporation juridiction.

f) Disposing claims submitted by the individuals under the National Population Register as per the rules and instructions issued from time to time within Municipal Corporation juridiction.

g) Authentication of the data as per the rules and instructions issued from time to time.

h) Exercising financial control over expenditure.

i) Co-ordinating NPR work at the Municipal Corporation jurisdiction.

j) Any other task assigned from time to time.

Sub-District Registrar

a) Appointment of Local Registrar and other functionaries at the respective sub-district jurisdiction, for collection of Biometric, Photograph and KYR+ information at the sub district level for NPR purpose (Tahsil/Municipal Corporation/Municipality/Nagar Panchayat/Cantonment Board)

b) Distribution of suitable materials for the field work for collection of Biometric, Photograph and KYR+ information at the sub-district level.

c) Ensuring proper publicity for collection of Biometric, Photograph and KYR+ information for the National Population Register at the sub-district level.

d) Undertaking inspection of data collection and biometric camps from time to time within sub-district level.

e) Ensuring timely start and completion of NPR and its related work within sub-district level.

f) Ensuring correctness and quality of data collection at the sub-district level.

g) Ensuring and certifying complete coverage at the sub-district level.

h) Disposing claims submitted by the individuals under the National Population Register as per the rules and instructions issued from time to time at the sub-district level.

i) Authentication of the data as per instructions issued from time to time.
j) Exercising financial control over expenditure.
k) Co-ordinating NPR work at the Sub-District level.
l) Any other task assigned from time to time.

Local Registrar

a) Ensuring arrangements for publicity / awareness campaign in the rural areas (Villages/Census Towns/Out Growths) and urban area (Wards of Statutory Towns) regarding the creation of NPR by making drum beat, mike announcements, display of postars/pumplets and announcing public information etc.
b) Ensuring the full coverage of area under his/her jurisdiction and that no household/individual has been left out.
c) Displaying the list of "usual residents" in some prominent places in the village/ward area in their respective jurisdiction.
d) Marking correction in the list and submitting the claims/objections by the individuals as same to Sub-District Registrar after incorporating the changes/objections.
e) Authenticating the collected data in respect of "usual residents" as per instruetions from time to time.
f) Any other task assigned from time to time.

General Public

a) Give information to the enumerator.
b) Attend the biometric camp on the assigned date and time.
c) As per rulc 7, the head of family and individual to act as informant.
   1) It shall be compulsory for every citizen of India to assist the officials responsible for preparation of the National Register of Indian Citizens under rule 4 and get himself registered in the local register of Indian Citizens during the period of initialization.
   2) It shall be the responsibility of the head of every family, during the period specified for preparation of the Population Register, to give the correct details of name and number of members and other particulars, as specified in sub-rule (3) of rule 3, of the family of which he is the head.
   3) It shall be the responsibility of every citizen to register once with the Local Register of Citizen Registration and to provide correct individual particulars to that authority.
   4) In the case of dependents, such as minor who has not attained the age of eighteen years, or who is disabled, the responsibility of reporting the particulars under this rule shall be of the head of the family.

Provided that in so far as inmates of institutions, such as Orphanages, old age homes, mental asylums are concerned, the responsibility for providing the requisite details shall lie with the head of the institution.

d) Fill the Know Your Residence (KYR) forms.
e) Strict discipline should be maintained in the camp.
f) After the publication of Local Register of Usual Residence (LRUR) check their own particulars and if any discrepancy found bring it to the notice of Local Registrar.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सीमा शर्मा, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश

क्र. 99-भू-अर्जन-12. सिंगरौली, दिनांक 16 फरवरी 2012

इकरारनामा

मेसर्स डी. बी. पावर (म. प्र.) लिमिटेड द्वारा अधिकृत संजय सिंह पिता अरूण कुमार सिंह निवासी 6 प्रेस काम्पलेक्स, एम. पी. नगर, भोपाल (म. प्र.) . . . . . .

प्रथम पक्ष

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली, म. प्र. . . . . .

द्वितीय पक्ष

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-5-2011/सात/2-ए, भोपाल, दिनांक 23-7-2011 डी. बी. पावर (म. प्र.) लिमिटेड, प्रेस काम्पलेक्स, एम. पी. नगर, भोपाल द्वारा सिंगरौली जिले में प्रस्तावित 2640 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु तहसील देवसर, जिला सिंगरौली में स्थित ग्राम गोरगी की आराजी किता 145 रकबा 52.425 हे. निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अधीन आज दिनांक 16-2-2012 को अनुबंध (करारनामा) निष्पादित करते हैं:—

1. परियोजना के लिए ग्राम गोरगी की निजी भूमि के अर्जन हेतु भूमि के परिगणित मूल्य रुपये 8,93,69,103/- (शब्दों में आठ करोड़ तिरानवे लाख उन्हत्तर हजार एक सौ तीन रुपये) कम्पनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा किया जा चुका है. शेष राशि एवार्ड पारित करने से पहले कोष में जमा करनी होगी.

2. भारत सरकार की वर्ष 2007 (अधिसूचित 31-10-2007) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति, मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति वर्ष 2002 एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय-समय पर जारी निर्देश एवं शर्तें लागू होंगे. जिसका पूर्णतः पालन करते हुए पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन की कार्यवाही कंपनी द्वारा की जावेगी.

3. कम्पनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता दी जावेगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

4. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत्-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही भू-अर्जन की कार्यवाही की जावेगी.

5. कम्पनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जावेगा.

6. कंपनी द्वारा परियोजना को स्थापित करने के संबंध में मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति 2002 एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 एवं अन्य निर्देश के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी. पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन का Package करारनामा का भाग होगा.

7. कंपनी के संबंध में करारनामा वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर द्वारा कार्यवाही की जावेगी.

8. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कम्पनी को प्राप्त करनी होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन करना होगा.

9. अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

10. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

11. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जावेगा.

12. कंपनी को दी गई भूमियॉ उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत्).

13. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

14. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

15. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जायेगा.

16. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.

17. कम्पनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभागों के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने होंगे, कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

18. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बन्द कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवन, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कम्पनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

19. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

20. पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन Package तथा अर्जित की जाने वाली भूमिस्वामियों एवं PAPS के एवं कंपनी के मध्य कोई विवाद होता है तो कलेक्टर का निर्णय अन्तिम होगा, जो कंपनी पर बंधनकारी होगा.

21. भू-अर्जन की मुआवजा की राशि रु. 5.00 लाख प्रति एकड़ अथवा पुनर्वास नीति में उल्लिखित राशि में से जो भी अधिक हो कंपनी से ली जावेगी.

22. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गई अन्य आवश्यक शर्तें.

23. कंपनी को भूमि जिस प्रयोजन के लिए दी गई है उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने पर अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित की जावेगी.

24. शासन के प्रतिनिधि व कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की पुष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

25. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु एक ट्रस्ट का गठन कलेक्टर सिंगरौली एवं डी. बी. पावर (म. प्र.) लिमिटेड के मध्य चर्चानुसार किया जावेगा.

26. भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बावत् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन कम्पनी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा.

यह अनुबंध (करारनामा) आज दिनांक 16-2-2012 को डी. बी. पावर (म. प्र.) लिमिटेड की ओर से अधिकृत श्री संजय सिंह पिता अरूण कुमार सिंह, निवासी 6 प्रेस काम्पलेक्स, एम. पी. नगर, भोपाल (म. प्र.) एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग की तरफ से कलेक्टर सिंगरौली द्वारा हस्ताक्षरित किया गया.

हस्ता./-
(संजय सिंह)
अधिकृत हस्ताक्षरी एवं एटार्नी
डी. बी. पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड,
ग्राम-गोरगी, तह. देवसर
जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश.

हस्ता./-
(एम. सेलवेन्द्रन)
कलेक्टर
एवं जिला पुनर्वास अधिकारी,
जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश.